

अध्याय-2
बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

अध्याय-2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

2.1 कर प्रबंध

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा लागू किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रमुख है तथा अपर ई.टी.सी., संयुक्त ई.टी.सी. (जे.ई.टी.सी.), उप ई.टी.सी. (डी.ई.टी.सी.) और आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओ.) द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है। संबंधित कर कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम


2017-18 में 40 इकाइयों में से 35 इकाइयों (राजस्व: 33 और व्यय: 02) के वैट/बिक्री कर के निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों की नमूना-जांच ने 2,436 मामलों में ₹ 1,653.05 करोड़ कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि तालिका 2.1 में वर्णित है:

तालिका 2.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	“ठेकेदारों/विकासकों से वैट के निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण” पर विषयक लेखापरीक्षा	1,142	79.78
2.	कर का अवनिर्धारण	429	235.23
3.	दोषपूर्ण सांविधिक 'फार्मों' की स्वीकृति	217	261.12
4.	बिक्रियों/खरीदों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन	80	279.58
5.	आई.टी.सी. की अनियमित/गलत/अधिक अनुमति	186	88.01
6.	अन्य अनियमितताएं	314	427.67
	कुल (I)	2,368	1,371.39
व्यय			
1.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अप्राप्ति	1	269.42
2.	अन्य अनियमितताएं	67	12.24
	कुल (II)	68	281.66
	कुल जमा (I+II)	2,436	1,653.05


चार्ट 2.1

(₹ करोड़ में)



चार्ट 2.2

(₹ करोड़ में)



वर्ष के दौरान, विभाग ने 272 मामलों में ₹ 153.19 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियाँ स्वीकार की जिनमें से 24 मामलों में शामिल ₹ 11.20 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने वर्ष 2017-18 में 34 मामलों में ₹ 46.10 लाख वसूल किए जिनमें शामिल ₹ 23.51 लाख से संबंधित एक मामला इस वर्ष से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

निर्धारण से संबंधित विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है। ₹ 138.60 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

2.3 माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के कार्यान्वयन के लिए तैयारी

2.3.1 प्रस्तावना

माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का कार्यान्वयन 1 जुलाई 2017 से किया गया था। जी.एस.टी.¹ माल एवं सेवाओं की राज्यआंतरिक आपूर्ति पर (मानव उपयोग के लिए अल्कोहल एवं पांच विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों² के अतिरिक्त) पृथक रूप से परंतु एक साथ केंद्र (सी.जी.एस.टी.) और राज्य (एस.जी.एस.टी.)/संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.जी.एस.टी.) के द्वारा लगाया जाता है। आगे, एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) माल एवं सेवाओं (आयात सहित) की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है और आई.जी.एस.टी. लगाने की एकमात्र शक्ति लोकसभा के पास है। जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से पहले अनुक्रमिक डीलरों द्वारा बिक्री की श्रृंखला में माल की राज्य के अंदर बिक्री पर एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 और सी.एस.टी. अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य व्यवसाय होने पर माल की बिक्री पर कर सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 के अनुसार उद्ग्रहणीय था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम के प्रावधानों के विनियमन हेतु राज्य सरकार में शक्ति निहित थी जबकि जी.एस.टी. से संबंधित प्रावधान केंद्र एवं राज्य द्वारा माल एवं सेवा कर परिषद (जी.एस.टी.सी.) की सिफारिश पर लागू किए जाते हैं जिसे जी.एस.टी. से संबंधित मामलों पर सुझाव देने के लिए केंद्र एवं सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व के साथ गठित किया गया था।

माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) भारत सरकार द्वारा आई.टी. सेवाएं प्रदान करने के लिए एक निजी कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया था। यह करदाताओं को पंजीकरण, कर का भुगतान और रिटर्न फाईल करने जैसी फ्रंट-एंड आई.टी. सेवाएं प्रदान करता है। हरियाणा ने मॉडल-1³ राज्य का विकल्प चुना और पंजीकरण अनुमोदन, करदाता ब्यौरे अवलोकन, रिफंड प्रोसेसिंग, एम.आई.एस. रिपोर्ट्स इत्यादि बैक-एंड आई.टी. सेवाएं प्रदान करने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के तौर पर मैसर्स विप्रो लिमिटेड को नियुक्त किया।

¹ केंद्रीय जी.एस.टी.: सी.जी.एस.टी. और राज्य जी.एस.टी./केंद्र शासित प्रदेश जी.एस.टी.: एस.जी.एस.टी./यू.टी.जी.एस.टी.।

² पेट्रोलियम उत्पाद: कच्चा, उच्च गति का डीजल, पेट्रोल, विमानन टरबाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस।

³ मॉडल -1 राज्य: जी.एस.टी.एन. द्वारा प्रदान की जाने वाली केवल फ्रंट-एंड सेवाएं, मॉडल -2 राज्य: जी.एस.टी.एन. द्वारा प्रदान की गई फ्रंट-एंड और बैक-एंड दोनों सेवाएं।

2.3.2 राजस्व की प्रवृत्ति

माल एवं सेवा कर में असम्मिलित/सम्मिलित करों सहित जी.एस.टी. के अंतर्गत कुल प्राप्तियां वर्ष 2016-17 के दौरान जी.एस.टी. से पहले के अंतर्गत ₹ 23,488.41 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 26,442.35 करोड़ थी अर्थात् 15.42 प्रतिशत की बढ़ोतरी। जी.एस.टी. से पहले कर⁴ और जी.एस.टी. के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित बजट अनुमान	जी.एस.टी. से पहले करों के अंतर्गत प्राप्तियां	जी.एस.टी. के अंतर्गत प्राप्तियां		जी.एस.टी. से पहले करों तथा जी.एस.टी. के अंतर्गत प्राप्तियां	वृद्धि (प्रतिशत में)	प्राप्त क्षतिपूर्ति	सुरक्षित राजस्व
			एस.जी.एस.टी.	अग्रिम आई.जी.एस.टी. का बंटवारा				
2013-14	17,400.00	16,774.33	लागू नहीं	लागू नहीं	16,774.33	0	लागू नहीं	लागू नहीं
2014-15	19,930.00	18,993.25	लागू नहीं	लागू नहीं	18,993.25	13.23%	लागू नहीं	लागू नहीं
2015-16	25,000.00	21,060.23	लागू नहीं	लागू नहीं	21,060.23	10.88%	लागू नहीं	लागू नहीं
2016-17	26,400.00	23,488.41	लागू नहीं	लागू नहीं	23,488.41	11.53%	लागू नहीं	लागू नहीं
2017-18	17,380.00	15,608.92	10,833.43	667.00	27,109.35	15.42%	1,199.00	14,845.26
कुल	1,06,110.00	95,925.14	10,833.43	667.00	1,07,425.57		1,199.00	14,845.26

स्रोत: राज्य वित्त रिपोर्ट और विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि गत चार वर्षों के दौरान कुल प्राप्तियों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति थी, हालांकि 2014-15 में प्राप्तियों का प्रतिशत 13.23 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 11.53 प्रतिशत हो गया और उसके बाद 2017-18 में बढ़कर 15.42 प्रतिशत हो गया।

2.3.3 राज्य को क्षतिपूर्ति

माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 और 6 के अनुसार परिवर्तन अवधि के दौरान जी.एस.टी. में सम्मिलित करों के राजस्व की प्रक्षेपित नाममात्र विकास दर 14 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। वर्ष 2017-18 के लिए प्रक्षेपित राजस्व ₹ 19,794.00 करोड़ था। देय क्षतिपूर्ति प्रक्षेपित राजस्व और राज्य द्वारा संग्रहित वास्तविक राजस्व का अंतर है। राज्य को देय क्षतिपूर्ति को अस्थाई रूप से परिगणित किया जाना था और प्रत्येक दो मास की अवधि की समाप्ति पर जारी किया जाना था। राज्य ने 2017-18 और 2018-19 (जनवरी 2019 तक) ₹ 1,199.00 करोड़ और ₹ 2,287.00 करोड़ क्षतिपूर्ति प्राप्त की।

2.3.4 कानूनी/सांविधिक तैयारी

राज्य सरकार ने हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और हरियाणा माल एवं सेवा कर नियम 2017 अधिसूचित किया (जून 2017)। राज्य में ई-वे बिल प्रणाली अंतर्राज्यीय लेन-देनों पर दिनांक 1 अप्रैल 2018 से और राज्य के अंदर लेन-देनों पर 20 अप्रैल 2018 से कार्यान्वित कर दिया गया। आगे, राज्य में जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के सरलीकरण के लिए समय-समय पर राज्य द्वारा आवश्यक अधिसूचनाएं जारी की गईं। राज्य

⁴ मूल्य वर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर और मनोरंजन कर।

सरकार/वाणिज्यिक कर विभाग (सी.टी.डी.) ने फरवरी 2019 तक जी.एस.टी. के संबंध में 229 अधिसूचनाएं/परिपत्र/आदेश जारी किए।

2.3.5 आई.टी. मूलभूत संरचना एवं तैयारी

जी.एस.टी.एन. द्वारा करदाताओं को पंजीकरण, भुगतान एवं रिटर्नस फाईल करने की तीन फ्रंट-एंड सेवाएं प्रदान करनी थी। हरियाणा ने जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के लिए मॉडल-1 का विकल्प के रूप में चुना। अतः पंजीकरण, अनुमोदन, करदाता विवरण व्यूअर, रिफंड प्रोसेसिंग, एम.आई.एस. रिपोर्ट्स इत्यादि जैसी बैक-एंड सेवाएं जी.एस.टी. प्रशासन के लिए स्वयं राज्य द्वारा विकसित किया गया।

भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एन.ई-जी.पी.) के अंतर्गत जी.एस.टी. पूर्व प्रणाली के दौरान विभागीय गतिविधियों के व्यापक कम्प्यूटरीकरण एवं वाणिज्यिक करों के लिए अभियान मोड परियोजना (एम.एम.पी.सी.टी.) हेतु चयनित की गई। विभाग ने सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में मैसर्स विप्रो लिमिटेड को नियुक्त किया। जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के बाद बैक-एंड एप्लिकेशन की संरचना के लिए भी मैसर्स विप्रो लिमिटेड को सौंपा गया था और मैसर्स अन्स्ट और यंग एल.एल.पी. जी.एस.टी. मामलों के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे।

एम.एम.पी.सी.टी. परियोजना के अंतर्गत जिला कार्यालयों को इंटरनेट कनेक्शन 2 एम.बी.पी.एस. की दर पर और मुख्य कार्यालय को 5 एम.बी.पी.एस.की दर पर दिया गया जिसे मुख्य कार्यालय को 15 एम.बी.पी.एस. तक और जिला कार्यालयों को 10 एम.बी.पी.एस. तक बढ़ा दिया गया। राज्य के सभी 59 कार्यालयों हरियाणा राज्य डाटा केंद्र (एस.डी.सी.) पर रिलायंस इंटरनेट लिंक के माध्यम से हरियाणा उत्पाद पोर्टल पर ऐक्सेस है। तथापि, फील्ड कार्यालयों के मामलों में कम्प्यूटर हरियाणा राज्य वाईड एरिया नेटवर्क (एच.एस.डब्ल्यू.ए.एन.) के माध्यम से एस.डी.सी. से जुड़े थे।

177 एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसिज (ए.पी.आई.) जी.एस.टी.एन. द्वारा जारी की गईं। हालांकि, केवल 85 ए.पी.आई. पूर्ण की गईं (फरवरी 2019) और शेष ए.पी.आई. प्रगति पर थी। ए.पी.आई. को कार्यान्वित करने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न तकनीकी समस्याओं का सामना किया गया और इसकी सूचना जी.एस.टी.एन. को दी गई। विभाग के 28 मामले उत्पादन पर्यावरण में और 2 मामले यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग (यू.ए.टी.) वातावरण से संबंधित जी.एस.टी.एन. के पास लंबित थे। जी.एस.टी. प्रयोजन के लिए कोई विशेष मूलभूत संरचनाएं नहीं खरीदी गईं। जी.एस.टी. से पूर्व प्रणाली की सभी मूलभूत संरचनाएं विभाग द्वारा प्रयुक्त कर ली गईं।

2.3.6 विभाग द्वारा क्षमता निर्माण प्रयास

मास्टर प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षणार्थियों के लिए जी.एस.टी. पर रिक्रेशर प्रशिक्षण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राष्ट्रीय सीमा शुल्क अकादमी, उत्पाद और नारकोटिक्स, नई दिल्ली में दो चरणों में आयोजित की गई (मई एवं जून 2017)। 69 मास्टर प्रशिक्षणार्थियों का आई.टी. प्रशिक्षण जी.एस.टी.एन. के पर्यवेक्षण के अंतर्गत चेन्नई में इन्फोसिस कैंपस में आयोजित किया गया। आगे, संयुक्त उत्पाद एवं कराधान आयुक्त के स्तर तक 29 अधिकारियों के लिए आई.टी. प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुग्राम में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (एच.आई.पी.ए.) में दो चरणों में आयोजित की गई।

विभाग ने भी अन्य विभागीय अधिकारियों के लिए विभिन्न आई.टी. प्रशिक्षण पंचकूला में सी.टी.डी. मुख्यालय पर आयोजित किए। जी.एस.टी. संबंधित सूचना जैसे अधिनियम/नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/आदेश/हैल्प डेस्क/फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चनज (एफ.ए.क्यू.), महत्वपूर्ण तिथियां, ई-वे बिल और डिजीटल हस्ताक्षर सत्यापन इत्यादि प्रदान करने के लिए विभागीय वेबसाइट पर 'जी.एस.टी. कोर्नर' टैब भी शुरू किया। करदाताओं की समस्याओं/सवालों को सुलझाने के लिए एक "केंद्रीकृत यूजर मैनुअल" भी स्थापित किया गया। व्यापार करने में सुगमता के लिए जिला स्तर पर भी हैल्प डेस्क स्थापित किए गए।

2.3.7 जी.एस.टी. का कार्यान्वयन

जी.एस.टी.एन. द्वारा करदाताओं को पंजीकरण, कर का भुगतान और रिटर्नस फाईल रखने जैसी तीन फ्रंट एंड सेवाएं प्रदान की गई। आगे, परिवर्तन प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए वर्तमान करदाताओं को प्रवास सुविधा भी प्रदान की गई। बैक-एंड सेवाएं जैसे पंजीकरण अनुमोदन, करदाता विवरण, अवलोकन, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एल.यू.टी.) प्रक्रिया, रिफंड प्रबंधन, सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.) रिपोर्ट्स इत्यादि राज्य (मैसर्ज विप्रो लिमिटेड) के माध्यम से प्रदान की जा रही थी।

2.3.7.1 करदाताओं का पंजीकरण

प्रत्येक व्यक्ति एक वैध परमानेंट एकाउंट नंबर (पी.ए.एन.) वाले को पूर्व जी.एस.टी. से पहले किसी नियमों के अंतर्गत पंजीकृत अस्थाई आधार पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और जिन्हें पंजीकरण का अंतिम प्रमाण-पत्र निर्धारित शर्तों की पूर्णता पर प्रदान किया जाना था। आगे, ₹ 20 लाख से अधिक की प्रारंभिक सीमा वाले करदाताओं का जी.एस.टी. के अंतर्गत पंजीकरण किया जाना अपेक्षित था।

2.3.7.2 करदाताओं का प्रवास

हरियाणा जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के नियम 24 के अनुसार, किसी भी वर्तमान नियम के अंतर्गत पंजीकृत और जिसके पास पैन है ऐसा कोई भी व्यक्ति अपना ई-मेल एड्रेस और मोबाइल संख्या की पुष्टि करवाकर दाखिल सामान्य पोर्टल पर नामंकित होगा और ऐसे व्यक्ति को अस्थाई आधार पर पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसे एक अस्थाई पंजीकरण प्रदान किया गया है सामान्य पोर्टल पर आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट सूचना एवं दस्तावेजों के साथ-साथ एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। पंजीकृत व्यक्ति को पंजीकरण

प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध करवाया जाएगा यदि आवेदन में प्रस्तुत सूचना एवं ब्यौरे सही एवं पूर्ण पाए जाते हैं। विभाग द्वारा प्रदान (फरवरी 2019) सूचना के अनुसार, अनंतिम पंजीकरण एवं सी.टी.डी. में वर्तमान पंजीकृत डीलरों के अनंतिम पंजीकरण एवं अंतिम पंजीकरण की स्थिति नीचे दी गई हैं:

वैट के अंतर्गत पंजीकृत कुल करदाता (30.06.2017 को)	वैट से प्रवासित डीलर	नए पंजीकरण	कुल
2,38,828	2,14,678	2,32,039	4,46,717

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्तमान डीलरों का 90 प्रतिशत जी.एस.टी. पूर्व प्रणाली से प्रवासित थे और अंत में जी.एस.टी. के अंतर्गत पंजीकृत हुए। शेष 10 प्रतिशत करदाताओं ने न्यूनतम सीमा/व्यवसाय बंद होने इत्यादि में वृद्धि के कारण प्रवासित नहीं किया।

2.3.7.3 केंद्र एवं राज्य के मध्य करदाताओं का आबंटन

जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के अनुसार, ₹ 1.5 करोड़ टर्नओवर वाले प्रवासित करदाताओं का 90 प्रतिशत और ₹ 1.5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले प्रवासित करदाताओं का 50 प्रतिशत राज्य को आबंटित किए गए। तदनुसार, कुल 2,42,000 करदाताओं में से राज्य को नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार वितरण के प्रथम चरण में 1,80,829 करदाताओं का क्षेत्राधिकार आबंटित किया गया:

क्षेत्राधिकार	₹ 1.5 करोड़ से अधिक जी.एस.टी. वाले करदाताओं की संख्या	₹ 1.5 करोड़ से कम जी.एस.टी. वाले करदाताओं की संख्या	कुल
राज्य	25,172 (50%)	1,55,657 (90%)	1,80,829
केंद्र	25,171 (50%)	17,288 (10%)	42,459
कुल	50,343	1,72,945	2,23,288

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना।

विभाग ने सूचित किया कि 2,42,000 करदाता आबंटन के प्रथम चरण में शामिल थे और शेष करदाताओं का आबंटन अभी किया जाना था। जिसमें से केवल 2,23,288 करदाता राज्य एवं केंद्र को आबंटित किए गए। शेष 18,712 करदाता अनधिकृत करदाता, अवैध जी.एस.टी.आई.एन. इत्यादि होने के कारण आबंटित नहीं किए गए।

2.3.7.4 रिटर्नस फाईल करना

हरियाणा जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के नियम 59 से 61 के अनुसार, एकमुश्त करदाताओं के अतिरिक्त करदाताओं द्वारा माल और सेवाओं की बर्हिगामी आपूर्तियों के ब्यौरे फार्म जी.एस.टी.आर.-1 में प्रस्तुत करने अपेक्षित थे, माल या सेवाओं की अंतर्गामी आपूर्ति के ब्यौरे फार्म जी.एस.टी.आर.-2 और एक रिटर्न फार्म जी.एस.टी.आर.-3 (जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-2 के माध्यम से प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्रणाली द्वारा मासिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिकली सृजित) जबकि एकमुश्त करदाताओं द्वारा त्रैमासिक रिटर्न जी.एस.टी.आर.-4 फाईल करनी अपेक्षित है।

रिटर्न फाईल करने की निर्धारित प्रक्रिया नई कर प्रणाली की प्रारंभिक अवधि में कठिनाईयों के निपटान के लिए संशोधित की गई है। अतः जी.एस.टी.आर.-2 और जी.एस.टी.आर.-3 फाईल करना विलंबित किया गया और सभी करदाताओं के लिए आगामी मास की 20 तारीख तक कर के भुगतान के साथ फार्म जी.एस.टी.आर.-3, बी में साधारण मासिक रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य था। आगे, ₹ 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाताओं ने त्रैमासिक आधार पर जी.एस.टी.आर.-1 फाईल करनी थी। फाईल की गई रिटर्नस के ब्यौरे निम्नानुसार थे:

अवधि	कुल योग्य करदाताओं की सीमा	फाईल किए गए जी.एस.टी.आर.-3बी करदाताओं की प्रतिशतता की सीमा	जी.एस.टी.आर.-4 फाईल किए गए करदाताओं की प्रतिशतता की सीमा	जी.एस.टी.आर.-5 फाईल किए गए करदाताओं की प्रतिशतता की सीमा	जी.एस.टी.आर.-6 फाईल किए गए करदाताओं की प्रतिशतता की सीमा
जुलाई 2017 से मार्च 2018	2,58,469 -3,53,197	84.52 से 98.28	76.22 से 87.21	33.33 से 50.00	35.89 से 59.02
अप्रैल 2018 से जनवरी 2019	3,60,761- 4,18,669	75.58 से 89.42	82.99 से 91.68	12.50 से 50.00	56.41 से 61.52

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

जुलाई 2017 से मार्च 2018 अवधि के दौरान करदाताओं की संख्या 2,58,469 से 3,53,197 तक बढ़ गई परंतु जी.एस.टी.आर.-3, बी रिटर्नस की प्रतिशतता 98.28 प्रतिशत से कम होकर 84.52 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार, एकमुश्त करदाताओं द्वारा जी.एस.टी.आर.-4 में रिटर्नस फाईल करना 87.21 से कम होकर 76.22 प्रतिशत हो गया (परिशिष्ट-V)।

अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान करदाताओं की संख्या 3,60,761 से बढ़कर 4,18,669 हो गई, जबकि जी.एस.टी.आर.-3बी रिटर्न दाखिल करना 89.42 प्रतिशत से घटकर 75.58 प्रतिशत हो गया। जी.एस.टी.आर.-4 में एकमुश्त करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करना 91.68 प्रतिशत से घटकर 82.99 प्रतिशत हो गया।

2.3.7.5 परिवर्तित क्रेडिट

हरियाणा जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 140 के साथ पठित हरियाणा जी.एस.टी. नियमावली के नियम 117 के अनुसार, पंजीकृत करदाता जी.एस.टी. पूर्व नियम के अंतर्गत फाईल किए गए रिटर्न में आगे ले जाई गई इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि जो रिटर्नस में आगे नहीं ले जाई गई और संपत्ति माल के संबंध में बकाया इनपुट टैक्स क्रेडिट जो रिटर्न में अग्रेषित नहीं थे, लेने के हकदार थे। पंजीकृत व्यक्ति टी.आर.ए.एन.-1 निर्धारित फार्म में रिटर्न फाईल करनी अपेक्षित थी। तथापि, करदाताओं को क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं थी जहां नियत तिथि से आगामी छः माह की अवधि के लिए तुरंत जी.एस.टी. पूर्व कानून के अंतर्गत सभी अपेक्षित रिटर्नस प्रस्तुत नहीं की गई।

49,253 करदाताओं ने टी.आर.ए.एन.-1 फाईल की और ₹ 14,461.35 करोड़ के परिवर्तित क्रेडिट का दावा किया। 2,058 करदाताओं ने टी.आर.ए.एन.-1 में प्रत्येक ₹ 10 लाख से अधिक ₹ 3,448.59 करोड़ राशि (1,203 करदाताओं ने ₹ 10 लाख से ₹ 25 लाख जो ₹ 571.63 करोड़ राशि बनी और 855 करदाताओं प्रत्येक ने ₹ 25 लाख से अधिक आई.टी.सी. का दावा किया जो ₹ 2,876.96 करोड़ बने) आई.टी.सी. का दावा किया।

अनुमत/निरस्त क्रेडिट का केंद्रीकृत डाटा विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया गया।

2.3.7.6 जी.एस.टी. के अंतर्गत रिफंड

जी.एस.टी.एन. के अंतर्गत रिफंड मोड्यूल कार्यात्मक नहीं था अतः रिफंड आवेदकों को मैनुअल प्रणाली द्वारा अनुमत किए जा रहे हैं। रिफंड प्रक्रिया में शेष राशि रिफंड के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या विशिष्ट कर अवधि की समाप्ति पर अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की शेष राशि के रिफंड के लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित की जा रही थी। अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड उस मामले में अनुमत किया गया जहां शून्य-दर आपूर्तियां कर के भुगतान के बिना की गईं या जब क्रेडिट बहिर्मुखी आपूर्तियों पर कर की दर से उच्चतर होने पर इनपुटस क्रेडिट एकत्रित हो गईं थी। विभाग द्वारा जी.एस.टी. उपलब्ध सूचना के अनुसार रिफंडज की स्थिति निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

फरवरी 2019 तक रिफंड का दावा		अनुमत रिफंड		अस्वीकृत रिफंड		लंबित रिफंड	
करदाताओं की संख्या	राशि	करदाताओं की संख्या	राशि	करदाताओं की संख्या	राशि	करदाताओं की संख्या	राशि
8,903	1,498.12	6,809	986.45	987	114.57	1,107	337.08

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

इस प्रकार, विभाग ने पंजीकृत करदाताओं का 76 प्रतिशत रिफंड अनुमत किया और दावा की गई कुल राशि का 66 प्रतिशत रिफंड कर दिया गया।

2.3.7.7 ई-वे बिल

जी.एस.टी. प्रणाली में ई-वे बिल सृजन करने का प्रावधान है जो एक ऐसा दस्तावेज है जिसे माल के आवागमन के प्रारंभ से पहले सामान्य पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजन किया जाता है व वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा अपने साथ रखा जाए।

ई-वे बिल का कार्यान्वयन अंतर्राज्यीय लेन-देनों के लिए 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी और राज्यों से बाहर लेन-देनों के लिए 20 अप्रैल 2018 से प्रभावी किया गया था, जिसके बाद फरवरी 2019 तक ई-वे बिल पोर्टल पर 1,50,355 करदाताओं का पंजीकरण किया गया। 1,958 ट्रांसपोर्टर्स का भी नामांकन किया गया। 2.12 करोड़ अंतर्राज्यीय और 2.45 करोड़ राज्य के भीतर ई-वे बिल ई-वे पोर्टल पर सृजित किए गए। सड़क पर जांच के दौरान विभाग को ऐसे 2,573 ई-वे बिलों का पता चला जो सही नहीं थे और 7,446 आपूर्तियां बिना ई-वे बिल के थी जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

फरवरी 2019 तक जांचे गए ई-वे बिलों की संख्या	मामलों की संख्या जहां ई-वे बिल गलत थे	मामलों की संख्या जो ई-वे बिल के बिना थे	कर और जुर्माने की कुल राशि
8,09,724	2,573	7,446	94.91

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि कुल 10,019 ई-वे बिल या तो सही थे या माल की आपूर्ति बिना ई-वे बिलों के की गई थी। विभाग ने असत्य/बिना ई-वे बिलों के लिए ₹ 94.91 करोड़ का कर और जुर्माना लगाया।

2.3.8 कानूनी मामले

जी.एस.टी. एक क्रांतिकारी कदम है जिसे राज्य कर प्रणाली के महत्वपूर्ण भाग का स्थान लेने के लिए स्थापित किया गया है। इसमें विभाग की सारी मानवशक्ति शामिल होगी। अतः यह आवश्यक है कि लीगेसी प्रणाली की लंबित समस्याओं को दूर किया जाए और नई प्रणाली का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जाए। कानूनी समस्याओं की स्थिति निम्नानुसार है:

2.3.8.1 वैट मामलों का निर्धारण

जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से पूर्व डीलर हरियाणा वैट अधिनियम, 2003, केंद्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 और अन्य करों जैसे प्रवेश कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर इत्यादि के अंतर्गत पंजीकृत थे। इसलिए, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 (प्रथम तिमाही) वर्षों के लिए वैट के अंतर्गत पंजीकृत डीलरों के निर्धारणों का संदर्भित वर्ष के दो वर्षों की निर्धारित अवधि के भीतर विभाग द्वारा पूर्ण किया जाना था। हरियाणा वैट अधिनियम में मान्य निर्धारण और संवीक्षा निर्धारण का प्रावधान है। प्रत्येक वर्ष संवीक्षा निर्धारण के चयन के लिए अनुदेश जारी किए जाते हैं। वर्ष 2017-18 (पहली तिमाही) के लिए मान्य निर्धारण और 2016-17 के लिए संवीक्षा निर्धारण लंबित था। वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर निर्धारण के लिए कुल 3,12,411 मामले थे। विभाग ने सूचित किया कि वैट के अधीन 3,23,689 मामले और सी.एस.टी. के अंतर्गत 3,23,153 मामले निर्धारण के लिए लंबित थे (जनवरी 2019)।

2.3.8.2 बकायों की वसूली

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा 26 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत फाईल की गई रिटर्नस के अनुसार देय स्वीकृत किए गए कर सहित कोई भी देय राशि, जो भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद बिना भुगतान के रह जाती है, चूककर्ता की संपत्ति का प्रथम प्रभार होगा और उससे वैसे वसूलनीय होगा जैसे भू-राजस्व के बकाया हों।

31 मार्च 2018 को कुल ₹ 11,069.39 करोड़ के बकाया (वैट और सी.एस.टी.) लंबित थे। जिसमें से ₹ 2,149.64 करोड़ लंबित कोर्ट मामलों के कारण रुके हुए थे, ₹ 1,208.34 करोड़ भूल सुधार/समीक्षा/अपील के कारण रुके हुए थे। ₹ 7,711.41 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न स्तरों जैसे कोर्ट/न्यायिक प्राधिकारियों, कार्यालयीन परिसमापक द्वारा स्टे आदेश के कारण रोकी गई थी।

2.3.8.3 जी.एस.टी. से पहले अवधि के रिफंड

2013-14 से 2017-18 अवधि के दौरान जी.एस.टी.-पूर्व अवधि के लिए अनुमत/समायोजित रिफंड की स्थिति निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मामलों की संख्या	रिफंड की राशि
2013-14	3,141	677.77
2014-15	2,348	647.49
2015-16	1,805	611.91
2016-17	1,971	651.52
2017-18	2,583	685.17
कुल		3,273.86

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

विभाग ने गत पांच वर्षों के दौरान ₹ 3,273.86 करोड़ का रिफंड अनुमत/समायोजित किया। वर्ष 2017-18 के अंत में, विभाग द्वारा ₹ 89.96 करोड़ की राशि वाले 348 रिफंड मामलों को अंतिम रूप दिया जाना था। डीलरों द्वारा जी.एस.टी. से पूर्व अवधि के छोड़े गए दावे यदि कोई हों, विभाग रिफंड के लिए आवेदन करने के लिए डीलरों को संवेदनशील बनाने पर विचार कर सकता है। यह राज्य के राजस्व के हित में है, यदि रिफंड अनुमत करने के कारण राजस्व में कमी, यदि कोई हो, की भरपाई केवल पांच साल की संक्रमणकालीन अवधि के दौरान केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी और संक्रमणकालीन अवधि के बाद के अनुमत किया गया रिफंड राज्य के राजस्व को बुरी तरह प्रभावित करेगा।

2.3.9 निष्कर्ष

विभाग/सरकार जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के लिए तैयारी में त्वरित थी जैसा कि जी.एस.टी. परिषद द्वारा अनुमोदित मॉडल नियम के अनुसार अधिनियमों एवं नियमों के अधिनियमन, वर्तमान करदाताओं का प्राथमिक नाम प्रवेश, क्षमता निर्माण प्रयास इत्यादि के संदर्भ में देखी जा सकती है। 1 जुलाई, 2017 से नियमों/विनियमों में बार-बार परिवर्तन हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप जी.एस.टी. निर्धारित करने की कई प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ। आगे, आई.टी. समाधान पूर्ण रूप से विकसित किया जाना था और रिटर्नस फाईल करने के बारे में समस्या का समाधान नहीं हुआ था। विभाग द्वारा लीगेसी कर प्रणाली से संबंधित समस्याओं को केंद्रीभूत व्यवस्थाओं के माध्यम से शीघ्र सुलझाने की आवश्यकता है।

2.4 ठेकेदारों/विकासकों से वैट निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण

2.4.1 प्रस्तावना

आबकारी एवं कराधान विभाग ने अपंजीकृत डीलरों की पहचान को सरल करने के लिए अन्य विभागों से सूचना संग्रहण के लिए प्रणाली स्थापित नहीं की। अपंजीकृत ठेकेदारों से कर की अवसूली के मामले, कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा सृजित अतिरिक्त मांग पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना, कर का उद्ग्रहण न होना, वैट डी-1 फार्म के दुरुपयोग के लिए कर व जुर्माना का न लगाना और कर की गलत दर लागू होने के कारण कर और ब्याज का कम उद्ग्रहण आई.टी.सी. के अतिरिक्त लाभ की अनुमति के कारण कर का अवनिर्धारण, ठेकेदारों द्वारा सकल टर्नओवर (जी.टी.ओ.) का छिपाव और एमनेस्टी स्कीम के अधीन कर के कम निर्धारण के दृष्टांत देखे गए, जिनके परिणामस्वरूप ₹ 79.78 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एच.वी.ए.टी.) अधिनियम, 2003 के अनुसार, कार्य संविदा में नकद स्थगित भुगतान या अन्य कीमती लेन-देन किसी चल या अचल संपत्ति का संयोजन, निर्माण, भवन, फेरबदल, उत्पादन, प्रसंस्करण, संरचना, प्रस्थापन, सज्जित, सुधार, मरम्मत या चालू करने का कोई भी करार शामिल है।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 ठेकेदार को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो या स्वयं या उप ठेकेदार के माध्यम से कार्य संविदा का निष्पादन करता है। ठेकेदार को एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत स्वयं को धारा 11 के अंतर्गत डीलर के रूप में या अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत एकमुश्त डीलर के रूप में पंजीकृत करवाना होता है।

एकमुश्त डीलर द्वारा कुल प्राप्तियों का चार प्रतिशत (11 अगस्त 2014 तक) और पांच प्रतिशत (12 अगस्त 2014 से) की दर पर कर का भुगतान करना अपेक्षित है और वे

इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं है। जो एकमुश्त न हो ऐसा डीलर/ठेकेदार कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त माल पर लागू दरों पर कर का भुगतान करने का दायी होता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या एच.वी.ए.टी. अधिनियम/सी.एस.टी. अधिनियम में निहित कार्य संविदा से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अनुसरण किया गया है और क्या अधिनियम की उल्लंघना के लिए दंडात्मक कदम प्रारंभ किए गए हैं, और उक्त अधिनियम के अधीन देय कर, ब्याज जुर्माना और अन्य देयों की वसूली के लिए ठेकेदारों के लिए हरियाणा वैकल्पिक कर अनुपालना स्कीम 2016 नामक एमनेस्टी स्कीम के अधीन कर निर्धारण की सत्यता जांचने के लिए लेखापरीक्षा (अगस्त 2017 - मार्च 2018) के दौरान 27 में से 17⁵ डी.ई.टी.सी. बिक्री कर (एस.टी.) कार्यालयों के वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान तैयार किए निर्धारण से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच की गई। अपंजीकृत निर्माण कार्य ठेकेदारों के मामले सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.यू.डी.ए.), नगर निगमों/नगर परिषद/नगर समितियों (एम.सी.) और हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन फेडरेशन लिमिटेड (एच.ए.एफ.ई.डी.) से भी सूचना एकत्रित की गई।

2.4.2 अपंजीकृत ठेकेदारों द्वारा कर का अपवंचन

ठेकेदारों का पंजीकरण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 48 में प्रावधान है कि कराधान प्राधिकारी अन्य विभागों/निगमों/व्यक्तियों से कोई भी सूचना, डेटा और आंकड़े मांग सकता है जो किसी कार्यवाही या कर प्रशासन से प्रासंगिक हो। धारा 16 में अपंजीकृत डीलर के कर उद्ग्रहण और निर्धारण के दौरान निर्धारित कर के बराबर जुर्माना का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने उनके द्वारा लगाए गए निर्माण कार्य ठेकेदारों के बारे में विभिन्न विभागों जैसे कार्यकारी अभियंता, एच.एस.ए.एम.बी.⁶, हुडा⁷, एम.सी.⁸, और एच.ए.एफ.ई.डी. पंचकूला से सूचना मंगवाई। विभागों, जो 11 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)⁹ के अधिकार क्षेत्र अधीन थे, से प्राप्त सूचना से लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग ने कर अपवंचन का पता लगाने के लिए अपंजीकृत डीलरों के पहचान, पंजीकरण एवं निर्धारण की प्रक्रिया को सरल करने के लिए अन्य विभागों से सूचना संग्रहण के लिए कोई प्रणाली स्थापित नहीं की थी।

कर अपवंचन

एच.वी.ए.टी. नियमावली 2003 के नियम 10 (2) में प्रावधान है कि एक डीलर जिसके मामले में कर योग्य मात्रा, जैसे कि एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 3 (2) में निर्दिष्ट है, ₹ पांच लाख से अधिक है, जब उसका कुल टर्नओवर किसी वर्ष में कर-योग्य संख्या से बढ़

⁵ अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), हिसार, जगाधरी, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक तथा सोनीपत।

⁶ अंबाला, भिवानी, गुरुग्राम, जगाधरी, जींद, रेवाड़ी तथा रोहतक।

⁷ भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, पंचकूला, पानीपत तथा रेवाड़ी।

⁸ अंबाला, गुरुग्राम, जींद, पानीपत, रेवाड़ी तथा रोहतक।

⁹ अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम (पूर्व), जगाधरी, जींद, करनाल, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी तथा रोहतक।

जाए उस दिन या उससे अगले दिन पर कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा। ऐसे सभी डीलरों के लिए एच.वी.ए.टी. की धारा 11 (2) के अंतर्गत पंजीकरण अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने कार्यकारी अभियंता, एच.एस.ए.एम.बी., एच.यू.डी.ए., एम.सी. और एच.ए.एफ.ई.डी. पंचकूला से संग्रहित सूचना की 11 डी.ई.टी.सी. के पंजीकरण अभिलेखों के साथ सत्यापन किया। यह अवलोकित किया गया कि 1,043 निर्माण कार्य ठेकेदार ₹ पांच लाख के कर-योग्य टर्नओवर की प्रारंभिक सीमा से अधिक था। उन्होंने 2014-15 से 2016-17 के दौरान निर्माण कार्य संविदाओं के निष्पादन के लिए ₹ 407.29 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था। तथापि, ये ठेकेदार एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थे और उन्होंने ₹ 407.29 करोड़ की बिक्री को छिपाया।

अपंजीकृत डीलरों को पहचानने के प्रयोजन से सर्वेक्षण करवाने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप अपंजीकृत डीलरों से ₹ 19.80 करोड़¹⁰ के कर की वसूली नहीं हुई और ₹ 19.80 करोड़ की अनिवार्य पेनल्टी भी उद्घाट्य थी।

यह इंगित किए जाने पर चार¹¹ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) ने बताया (सितंबर 2017 और मई 2018 के मध्य) कि मामले जांच के अधीन थे। शेष सात डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

- टेंडरिंग के स्तर पर ठेकेदारों के टिन मंगवाने के लिए सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, पी.एस.यू. को निर्देश जारी करना
- सभी निर्माण कार्य ठेकेदारों का पता लगाने के लिए अन्य विभागों से सूचना के आदान-प्रदान की प्रणाली विकसित करने हेतु विभागों को निर्देश देना।

2.4.3 ब्याज का अनुद्घाटन

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) निर्धारित करती है कि यदि कोई डीलर कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो यदि भुगतान नब्बे दिन के भीतर कर दिया जाए तो उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त वह एक प्रतिशत प्रतिमाह पर साधारण ब्याज और यदि कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, पूरी अवधि के लिए नब्बे दिन से अधिक तक चूक जारी रहती है तो दो प्रतिशत प्रतिमाह पर भुगतान के लिए दायी होगा।

छ: डी.ई.टी.सी.¹² (एस.टी.), में लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 10 ठेकेदारों ने अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान नहीं किया था। कर-निर्धारण प्राधिकारियों (ए.ए.) ने ठेकेदारों के निर्धारण को सुनिश्चित किया और

¹⁰ 13.125 प्रतिशत की दर पर श्रम और सेवा प्रभारों पर लगाए कर 25 प्रतिशत कटौती घटना तथा ठेका देने वालों द्वारा वास्तविक टी.डी.एस. (11.08.14 तक 4.2 प्रतिशत की दर और 12.08.14 से 5.25 प्रतिशत की दर पर) घटना। (जी.टी.ओ. ₹ 407.29 करोड़ - 25 प्रतिशत श्रम और सेवा प्रभार) = ₹ 101.82 करोड़। ₹ 407.29 करोड़ - ₹ 101.82 करोड़ = ₹ 305.47 करोड़। ₹ 305.47 करोड़ X 13.125 प्रतिशत = ₹ 40.09 करोड़ - ₹ 20.29 करोड़ (टी.डी.एस. कटौती) = ₹ 19.80 करोड़।

¹¹ अंबाला, गुरुग्राम (पूर्व), पंचकूला तथा रोहतक।

¹² फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), जगाधरी, रोहतक तथा सोनीपत।

₹ 11.21 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की परंतु ₹ 7.12 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहण करने में विफल रहे।

यह इंगित किए जाने पर, तीन ए.ए.¹³ ने बताया (फरवरी और मई 2018) कि तीन मामलों में ₹ 5.51 करोड़ की मांग सृजित की गई थी। आगे, ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने बताया कि दो मामलों में पुनःनिर्धारण के लिए नोटिस जारी किया गया था। ए.ए. जगाधरी ने बताया (दिसंबर 2017) कि मामला स्वतः कार्यवाही करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी (आर.ए.) को भेजा गया था। ए.ए. रोहतक ने बताया (मई 2018) कि डीलर ने मई 2017 में ₹ 0.06 करोड़ का डब्ल्यू.सी.टी. जमा करवाया था और उसे 2014-15 वर्ष में समायोजित कर लिया गया। ए.ए. का उत्तर सही नहीं था क्योंकि डीलर ने 2014-15 की बजाए वर्ष 2017-18 के लिए कर जमा करवाया था और एक अन्य मामले में प्रस्तुत टी.डी.एस. की प्रमाणिकता की जांच की जानी अभी लंबित थी। ए.ए. सोनीपत ने दो मामलों के बारे में बताया (मई 2018) कि डीलर ने आदेश के विरुद्ध संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (अपील) के सामने अपील दर्ज की थी और इसे ए.ए. को वापस भेज दिया गया और रिमांड मामले के लिए कार्यवाही शुरू की गई।

2.4.4 फार्म वैट डी-1 के दुरुपयोग के लिए कर/जुर्माना का अनुद्ग्रहण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, कर की रियायती दर पर माल की खरीद के लिए केवल एकमुश्त ठेकेदार/डीलर वैट डी-1¹⁴ के प्रयोग के लिए हकदार हैं। यदि एक ठेकेदार/डीलर जो एकमुश्त नहीं है, वैट डी-1 फार्म का प्रयोग करे वह अतिरिक्त कर के भुगतान का दायी होगा, और एच.वी.ए.टी. की धारा 7 (5) के अधीन, ऐसी पेनल्टी जो अतिरिक्त कर के 1.5 गुणा से अधिक न हो, उस पर लगाई जानी अपेक्षित है।

सात डी.ई.टी.सी.¹⁵ (एस.टी.) में, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि गैर-एकमुश्त निर्माण कार्य ठेकेदारों ने भवन/सड़क इत्यादि के निर्माण में प्रयोग के लिए फार्म वैट डी-1 के विरुद्ध ₹ 16.28 करोड़ मूल्य के मालएं/माल खरीदा था। अतः ठेकेदार अतिरिक्त कर और पेनल्टी का भुगतान करने के दायी थे। ए.ए., निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय अतिरिक्त कर और जुर्माना के उद्ग्रहण में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.45¹⁶ करोड़ के अतिरिक्त कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 2.18 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहण था।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. सोनीपत ने बताया (मई 2018) कि ₹ 0.04 करोड़ की मांग सृजित की गई थी। तीन¹⁷ ए.ए. ने बताया (सितंबर 2017 और मई 2018 के मध्य) कि तीन मामले आर.ए. को स्वतः कार्यवाही करने के लिए भेजे गए थे। ए.ए. भिवानी ने बताया (मार्च 2018) कि दो मामलों में डीलर नियमित पंजीकृत डीलर के तौर पर न कि ठेकेदार के तौर पर पंजीकृत थे।

¹³ फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम)।

¹⁴ वैट डी-1 के विरुद्ध खरीदे माल पर लागू दर के आधार पर परिगणित कर बिक्री द्वारा संचार नेटवर्क, माईनिंग, बिजली सृजन और एक मुश्त डीलर द्वारा निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन के लिए माल के विनिर्माण में प्रयोग के लिए रियायती दर पर माल खरीदने के लिए संबंधित ए.ए. द्वारा खरीदने वाले डीलर को फार्म वैट डी-1 जारी किया जाता है।

¹⁵ अंबाला, भिवानी, गुरुग्राम (दक्षिण), जगाधरी, कैथल, पंचकूला तथा सोनीपत।

¹⁶ वैट डी-1 के विरुद्ध खरीदे माल पर लागू दर के आधार पर परिगणित कर।

¹⁷ अंबाला, गुरुग्राम (दक्षिण) तथा पंचकूला।

ए.ए. के उत्तर सही नहीं थे क्योंकि पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अनुसार डीलर निर्माण कार्य संविदा के कार्य के लिए पंजीकृत किए गए थे। ए.ए. जगाधरी ने बताया (मई 2018) कि मामला पुनःनिर्धारण के लिए ले लिया गया।

राज्य सरकार लाभ की अनुमति देने से पहले डी-1 फॉर्म के विरुद्ध रियायत दर की स्वीकार्यता को सत्यापित करने के लिए ए.ए. को निर्देश दे सकती है।

2.4.5 कर की गलत दर लागू करने के कारण कर और ब्याज का कम उद्ग्रहण

11 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)¹⁸ में, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 25 गैर-एकमुश्त ठेकेदारों ने 2014-15 और 2016-17 के मध्य ₹ 107.44 करोड़ मूल्य के निर्माण कार्य निष्पादित किए और एकमुश्त ठेकेदारों के लिए लागू दरों पर कर का भुगतान किया। ए.ए. ने संविदा में प्रयुक्त माल पर लागू दर पर कर की बजाय एकमुश्त दरों पर निर्धारण किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.57 करोड़ का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.69 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

यह इंगित किए जाने पर,

- सात ए.ए.¹⁹ ने बताया (मार्च और मई 2018 के मध्य) कि 16 मामले स्वतः कार्रवाई के लिए आर.ए. को भेजे गए थे।
- ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने बताया (मई 2018) कि एक मामले में ₹ 0.17 करोड़ की मांग सृजित की गई थी और एक अन्य मामले में पुनःनिर्धारण के लिए नोटिस जारी किया गया था।
- ए.ए. हांसी (हिसार) ने बताया (अप्रैल 2018) कि पुनःनिर्धारण के लिए नोटिस जारी किया गया था। ए.ए. करनाल ने बताया (मार्च 2018) कि एक मामले में नोटिस जारी किया गया था और अन्य मामले में मामला जांच अधीन था।
- ए.ए. पानीपत ने एक मामले में बताया (मई 2018) कि मामला जांच अधीन था और एक अन्य मामले में (फरवरी 2017) आदेश संशोधित किया गया और ₹ 6.65 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी।
- ए.ए. पंचकूला ने बताया (दिसंबर 2017) कि मामला आर.ए. से वापस भेज दिया गया और डीलर को नोटिस जारी कर दिया गया।
- ए.ए. सोनीपत ने बताया (मई 2018) कि एम.सी. भी राज्य सरकार का एक विभाग था। अतः कर कम दर पर सही उद्ग्रहीत किया गया था। ए.ए. का उत्तर सही नहीं क्योंकि ठेकेदार गैर-एकमुश्त ठेकेदार था और माल पर लागू दर पर कर के भुगतान का दायी था।

2.4.6 समर्थक दस्तावेजों के बिना उप-संविदा पर कर की छूट

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 42 में प्रावधान है कि ठेकेदार और उप-ठेकेदार दोनों संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में संयुक्त रूप से और कई बार कर के भुगतान के दायी होते हैं चाहे उप ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन में शामिल माल या किसी अन्य रूप में

¹⁸ अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण), हिसार, जगाधरी, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत तथा सोनीपत।

¹⁹ अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण), जगाधरी, कुरुक्षेत्र तथा पंचकूला।

शामिल हों। ठेकेदार द्वारा कोई कर भुगतान योग्य नहीं है यदि वह ए.ए. की संतुष्टि पर यह प्रमाणित कर दे कि उप ठेकेदार द्वारा कर का भुगतान कर दिया गया और ऐसे कर का निर्धारण अंतिम कर दिया गया है।

दो डी.ई.टी.सी.²⁰ (एस.टी.) में, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि दस ठेकेदारों ने ₹ 101.01 करोड़ मूल्य की उप-संविदा पर निर्धारण आदेश/उप ठेकेदारों द्वारा भुगतान किए गए कर का प्रमाण जैसे समर्थक दस्तावेजों बिना कर की छूट का दावा किया। निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय, ठेकेदारों द्वारा की गई घोषणा के आधार पर समर्थक दस्तावेजों के बिना उप संविदा की छूट की अनुमति दे दी गई जिसमें ₹ 9.98 करोड़ की कर देयता शामिल थी।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने बताया (मई 2018) कि छः मामलों में पुनःनिर्धारण कार्यवाही शुरू की गई थी। ए.ए. गुरुग्राम (दक्षिण) ने बताया (मई 2018) कि चार मामले स्वतः कार्रवाई करने के लिए आर.ए. के पास भेजे गए थे।

2.4.7 सत्यता की जांच के बिना निर्माण कार्य संविदा कर (डब्ल्यू.सी.टी.) के लाभ की अनुमति देना

एच.वी.ए.टी. अधिनियम 2003 की धारा 24(5) के प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकार को उप-धारा (3) के अनुरूप भुगतान किया गया कोई भी कर उप-धारा (4) के अधीन उसे जारी प्रमाण-पत्र के प्राधिकार पर, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा भुगतान योग्य कर के साथ भुगतान किए जाने वाले द्वारा समायोजन योग्य होगा और ए.ए. इस बारे में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, भुगतान के विधिवत् सत्यापन के बाद ऐसे समायोजन के लाभ की अनुमति देगा।

तीन डी.ई.टी.सी.²¹ (एस.टी.) में, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 16 ठेकेदारों ने ₹ 6.26 करोड़ के डब्ल्यू.सी.टी. के लाभ का दावा किया। ए.ए. ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय समय डब्ल्यू.सी.टी. प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना ₹ 6.26 करोड़ के लाभ की अनुमति दे दी। अतः निर्माण कार्य ठेकेदारों को डब्ल्यू.सी.टी. के लाभ की अनुमति के औचित्य का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

यह इंगित किए जाने पर, तीन ए.ए.²² ने बताया (मई 2018) कि 15 मामलों में डब्ल्यू.सी.टी. के सत्यापन के लिए पत्र संबंधित डी.ई.टी.सी. को जारी कर दिए गए। ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने एक मामले में बताया (मई 2018) कि डब्ल्यू.सी.टी. का लाभ सत्यापन के बाद दिया गया था। ए.ए. का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ₹ 2.26 लाख के भुगतान का सत्यापन दैनिक संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) के आंकड़ों के अनुसार नहीं किया गया।

2.4.8 परिगणना भूल के कारण कर का अवनिर्धारण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत, कोई भी करारान प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी, किसी भी मामले में, इसके द्वारा पारित आदेश की प्रति की आपूर्ति की तिथि से

²⁰ गुरुग्राम (पूर्व) तथा गुरुग्राम (दक्षिण)।

²¹ भिवानी, गुरुग्राम (पूर्व) तथा गुरुग्राम (उत्तर)।

²² भिवानी, गुरुग्राम (पूर्व) तथा गुरुग्राम (उत्तर)।

दो वर्षों की अवधि के भीतर, किसी भी समय पर, इससे विपरीत रूप में प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का यथोचित अवसर देने के बाद मामले के रिकार्ड से प्रत्यक्ष किसी लिपिकीय या गणितीय भूल को सुधार सकती है।

चार डी.ई.टी.सी.²³ (एस.टी.) में, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि चार मामलों में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ए.ए. ने ₹ 94.21 लाख का कर परिगणित किया था परंतु आंकड़ों का योग करते हुए इसे ₹ 40.86 लाख दर्शाया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 53.35 लाख कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. पंचकूला और गुरुग्राम (पश्चिम) ने बताया (सितंबर 2017 और मई 2018) कि ₹ 38.29 लाख की मांग सृजित की गई। ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने बताया (जनवरी 2018) कि पुनःनिर्धारण कार्यवाही शुरू कर दी गई। ए.ए. शाहबाद, (कुरूक्षेत्र) ने बताया (अगस्त 2017) कि मामले की पुनः जांच की जाएगी।

2.4.9 आई.टी.सी. के अधिक लाभ की अनुमति देने के कारण कर का अवनिर्धारण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत वैट डीलर द्वारा खरीदे गए किसी भी माल का इनपुट कर उसके द्वारा इस माल की बिक्री पर राज्य को भुगतान किए गए कर की राशि होगी। बिक्री के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से माल के निपटान पर आई.टी.सी. अनुमत नहीं है। यदि राज्य में खरीदे गए माल का निपटान आंशिक रूप से बिक्री के द्वारा और आंशिक रूप से स्टॉक स्थानांतरण द्वारा किया जाता है, ऐसे माल पर इनपुट कर प्रो-राटा आधार पर परिगणित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरुग्राम (पूर्व) में अवलोकित किया कि निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ए.ए. ने ₹ 1.61 करोड़ मूल्य के माल की खरीद पर ₹ 0.17 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति दी। डीलर ने ₹ 1.03 करोड़ मूल्य का माल बेचा तथा शेष माल निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयोग कर लिया चूंकि डीलर ने व्यापार और निर्माण कार्य संविदा के लिए पृथक लेखाओं को नहीं रखा था आई.टी.सी. को निर्माण कार्य संविदा में माल के प्रयोग के लिए अनुपातिक रूप से रिवर्स किया जाना था। अतः आई.टी.सी. ₹ 0.13 करोड़²⁴ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने बताया (जनवरी 2018) कि पुनःनिर्धारण कार्यवाही शुरू कर दी गई।

2.4.10 कर योग्य टर्नओवर के कम निर्धारण के कारण कर का अवनिर्धारण

पांच डी.ई.टी.सी.²⁵ (एस.टी.) में, यह अवलोकित किया गया कि नौ ठेकेदारों के मामले में ए.ए. ने ₹ 198.71 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर (टी.टी.ओ.) का निर्धारण किया था। तथापि, संविदा देने वालों द्वारा जारी डब्ल्यू.सी.टी. प्रमाण पत्रों के अनुसार, डीलरों ने ₹ 225.80 करोड़ (एकमुश्त और गैर एकमुश्त के अधीन क्रमशः ₹ 196.06 करोड़ और ₹ 29.74 करोड़) मूल्य के निर्माण कार्यों का निष्पादन किया। इस प्रकार, ₹ 27.09 करोड़

²³ गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), कुरूक्षेत्र तथा पंचकूला।

²⁴ ₹ 16,66,499 (आई.टी.सी.) x ₹ 4,10,16,214 (एकमुश्त कार्य)
= ₹ 5,13,48,163 (जी.टी.ओ.)

²⁵ अंबाला, गुरुग्राम (पूर्व), हिसार, कैथल तथा पंचकूला।

टी.टी.ओ. का कम निर्धारण था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.76 करोड़ के कर का अवनियोजन हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.21 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर,

- ए.ए. पंचकूला ने बताया (मई 2018) कि ₹ 37.20 लाख की मांग सृजित की गई थी।
- ए.ए. अंबाला ने बताया (मार्च 2018) कि मामला पुनःनिर्धारण के लिए भेजा गया था।
- ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने एक मामले में बताया (सितंबर 2017) कि कुल प्राप्त विवरणी के अनुसार जी.टी.ओ. ₹ 4.73 करोड़ की बजाय ₹ 4.35 करोड़ था। ए.ए. का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि कटौती किए गए डब्ल्यू.सी.टी. के आधार पर भुगतान योग्य कुल जी.टी.ओ./टी.टी.ओ. ₹ 4.73 करोड़ था। एक अन्य मामले में ए.ए. ने बताया (अक्टूबर 2017) कि ₹ 66.86 करोड़ का जी.टी.ओ. रिटर्न के रूप में लिया गया। ए.ए. का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कटौती किए गए डब्ल्यू.सी.टी. के आधार पर जी.टी.ओ./टी.टी.ओ. ₹ 71.45 करोड़ परिकल्पित हुआ। ये एकमुश्त ठेकेदार थे और उनका जी.टी.ओ. और टी.टी.ओ. समान है। ए.ए. ने आगे बताया (दिसंबर 2017 और मई 2018 के मध्य) कि पुनर्निर्धारण कार्यवाही तीन मामलों में शुरू हुई थी।
- ए.ए. कैथल ने बताया (अप्रैल 2018) कि ₹ 30.39 करोड़ की राशि बैलेंस शीट के अनुसार ली गई थी। ए.ए. का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि डब्ल्यू.सी.टी. प्रमाण-पत्र के अनुसार जी.टी.ओ. ₹ 36.31 करोड़ था।

2.4.11 कारण रिकार्ड किए बिना श्रम एवं सेवाओं की अधिक कटौती

एच.वी.ए.टी. नियमावली के नियम 25 के उपनियम 2 के अनुसार, कर योग्य टर्नओवर में शामिल राशि संविदा के अधीन डीलर को भुगतान किया गया या भुगतान योग्य कुल प्रतिफल होगा और श्रम, सेवाएं तथा इस तरह के अन्य प्रभार इसमें शामिल नहीं होंगे। जहां श्रम सेवाओं तथा इस तरह के अन्य प्रभार की राशि डीलर की लेखा पुस्तिकाओं से निश्चित न हो, प्रभारों की राशि सिविल निर्माण कार्यों के लिए मूल्य योग्य प्रतिफल के 25 प्रतिशत पर परिगणित की जाएगी। यदि डीलर कुल संविदा मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक श्रम, सेवा एवं अन्य ऐसे प्रभारों पर कटौती का दावा करता है, ए.ए. दावों की जांच के बाद डीलर के दावे की अनुमति दे सकता है और दावा स्वीकृत करने के लिए कारण लिखित में रिकार्ड करेगा।

लेखापरीक्षा ने डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला के कार्यालय में अवलोकित किया कि तीन ठेकेदारों ने ₹ 10.11 करोड़ का कार्य पूर्ण किया था। उन्होंने श्रम और सेवाओं के एवज में ₹ 3.91 करोड़ (31.62 प्रतिशत से 40 प्रतिशत) की कटौती का दावा किया और ए.ए. ने दावे की अनुमति दे दी। अधिक दर पर श्रम प्रभारों की अनुमति देने के औचित्य का उल्लेख ए.ए. द्वारा निर्धारण में नहीं किया गया। 25 प्रतिशत पर कटौती ₹ 2.53 करोड़ परिकल्पित हुई। अतः लेखापरीक्षा में निर्माण कार्य ठेकेदारों को 25 प्रतिशत से अधिक ₹ 1.39 करोड़ राशि के श्रम और सेवाओं की कटौती की अनुमति देने के औचित्य का सत्यापन नहीं किया जा सका।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. अंबाला ने कहा (मार्च 2018) कि तीन मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई के लिए भेजे गए।

2.4.12 ठेकेदार को ठेका देने वाले द्वारा आपूरित माल पर कर का उद्ग्रहण न किया जाना

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 2(1) (जेड.ई.) में प्रावधान है कि निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन में शामिल माल (चाहे सामान या अन्य किसी रूप में) संपत्ति का हस्तांतरण, जहां ऐसा हस्तांतरण, नकद हो, स्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल हो, ऐसा हस्तांतरण, हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति द्वारा इस माल की बिक्री माना जाएगा।

लेखापरीक्षा ने डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकूला के कार्यालय में अवलोकित किया कि निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन के लिए ठेकेदार को विभाग/संविदादाता द्वारा ₹ 1.85 करोड़ मूल्य का माल प्रदान किया गया और इसे ठेकेदार द्वारा उसके वाणिज्य खाते में दिखाया गया। निर्धारण को अंतिम रूप देते समय समय ए.ए. ने विभाग द्वारा आपूरित माल की लागत के विरुद्ध ₹ 1.85 करोड़ की कटौती की अनुमति दे दी जो अनुमति योग्य नहीं थी। परिणामस्वरूप ₹ 0.21 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. ने कहा (मई 2018) कि मामले का पुनःनिर्धारण किया गया और जुर्माना और ब्याज सहित ₹ 1.54 करोड़²⁶ की मांग सृजित की गई।

2.4.13 एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत कर का कम निर्धारण

राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत भुगतान योग्य कर, ब्याज, जुर्माना और अन्य देयों की वसूली के लिए 'ठेकेदारों के लिए हरियाणा वैकल्पिक कर अनुपालना स्कीम, 2016' अधिसूचित की (12 सितंबर, 2016)। स्कीम का विकल्प किसी भी अवधि, जो किसी भी वित्तीय वर्ष (आवेदक अर्थात् डेवलपर/निर्माणकर्ता द्वारा चुनी जाए) में हो सकती है और 31 मार्च 2014 को समाप्त होती है, के लिए लिया जा सकता। इस स्कीम के अंतर्गत विकल्प लेने वाला ठेकेदार उसके व्यापार से उत्पन्न कर, ब्याज या जुर्माना के एवज में एकमुश्त निपटान के रूप में, वर्ष के दौरान किए गए व्यापार के लिए प्राप्त/प्राप्त होने योग्य पूर्ण कुल राशि के एक प्रतिशत पर एकमुश्त राशि, बिना किसी प्रकार की कटौती के वर्षवार भुगतान करेगा। आगे, इस प्रकार देय राशि पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज प्रभारित किया जाएगा। स्कीम का विकल्प लेने वाला ठेकेदार अधिसूचना की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर संबंधित ए.ए. को फार्म टी.सी.-1 में आनलाईन आवेदन देगा। एक समिति जिसमें दो वरिष्ठतम ई.टी.ओ. (संबंधित ए.ए. से अतिरिक्त) होंगे और जिले में तैनात संबंधित ए.ए. फार्म टी.सी.-1 की जांच करेंगे।

राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि निम्नलिखित घटक सकल राशि का भाग होंगे:

- i) स्थगित इकाई राशियों का रिफंड
- ii) बाहरी विकास प्रभार (ई.डी.सी.)
- iii) आंतरिक विकास प्रभार (आई.डी.सी.)
- iv) हस्तांतरण प्रभार
- v) क्लब सदस्यता, बिजली गैस और जल प्रभार
- vi) विलंबित भुगतान के लिए संभावित खरीददारों से प्राप्त ब्याज।

²⁶ ए.ए. ने ₹ 76 लाख + ₹ 76.90 लाख ब्याज + ₹ 2.87 लाख की पेनल्टी - ₹ 1.92 लाख की आई.टी.सी. का अधिक कैरी फारवर्ड = ₹ 153.85 लाख के कर का उद्ग्रहण किया।

चार डी.ई.टी.सी.²⁷ (एस.टी.) में, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सिविल संरचनाओं, प्लैट्स, आवासीय इकाइयों, भवनों इत्यादि के निर्माण में लगे हुए 14 डेवलपर्स जिन्होंने स्कीम का विकल्प लिया था, ने विकल्प की अवधि के लिए ₹ 12,525.13 करोड़ की कुल प्राप्तियों की घोषणा की। फार्म टी.सी.-1, वार्षिक लेखाओं और अन्य रिकार्ड्स की जांच के बाद विभाग की तीन सदस्यीय समिति ने ₹ 12,771.37 करोड़ की सकल प्राप्ति की सिफारिश की। संबंधित डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया और ₹ 134.10 करोड़ का कर उद्ग्रहित किया।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ई.डी.सी./आई.डी.सी. प्रभार, हस्तांतरण प्रभार, स्थगित इकाइयों की रिफंड राशि और विलंबित भुगतान के लिए संभावित खरीददारों से प्राप्त ब्याज इत्यादि जैसी प्राप्तियां सकल राशि में न डेवलपर्स और न ही विभागीय समिति द्वारा शामिल की गई थी। इन घटकों को शामिल करने के बाद लेखापरीक्षा ने कुल प्राप्तियों की गणना ₹ 14,516.93 करोड़ की। इसका परिणामस्वरूप ₹ 18.33 करोड़ (₹ 14,516.93 करोड़ - ₹ 12,771.37 x 1.05 प्रतिशत) के अव-निर्धारण में हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. फरीदाबाद (पूर्व) ने बताया (अप्रैल 2018) कि एक मामले में डीलर ने एक सह-डेवलपर के रूप में विशेष आर्थिक जोन विकसित किया था और प्राप्त विकास प्रभार सह-डेवलपर को भवन के किराए के रूप में दिए गए थे और किराया राशि वैट के समीक्षा में नहीं थी, अतः सकल प्राप्ति का भाग नहीं थी।

ए.ए. का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि बैलेंसशीट के अनुसार प्राप्तियां विकास प्रभारों के एवज में थी और किराए की आय से नहीं। ए.ए. गुरुग्राम (उत्तर) ने दो मामलों में बताया कि दो मामलों में सकल राशि, पूर्णता (पी.ओ.सी.एम.) के प्रतिशतता के आधार पर ली गई थी। उत्तरों को इस तथ्य की रोशनी में देखा जाना चाहिए कि एक मामले में डीलर ने फार्म टी.सी.-1 में ₹ 1,880.94 करोड़ की सकल प्राप्ति दर्शाई थी जो कर परिकल्पित करने के लिए की जानी चाहिए थी इसकी बजाय ₹ 1,842.25 करोड़ ठेकेदार की सकल प्राप्ति के तौर पर लिए गए थे। अन्य मामले में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को ध्यान में रखते हुए सकल राशि ₹ 994.11 करोड़ की बजाय ₹ 1,073.85 करोड़ होनी थी। ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने 10 मामलों में बताया (मई 2018) कि मामले जांच के अधीन थे।

राज्य सरकार एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत निपटाए गए डेवलपर्स के सभी मामलों की समीक्षा पर विचार करे।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई अनियमितताएं विभाग के त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण का संकेत देती हैं जिसके कारण विपथन और एच.वी.ए.टी. नियमावली के प्रावधानों की अनुपालना नहीं हुई। विभाग ने निर्माण कार्य ठेकेदारों के आंतरिक विभागीय डेटा बेस के क्रास सत्यापन के लिए कोई यंत्रावली स्थापित नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप अपंजीकृत निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा कर अपवंचन हुआ। ठेकेदारों को बिना सत्यापन के कर के भुगतान/डब्ल्यू.सी.टी. का लाभ दिया गया। कर के कम जमा करने पर ब्याज के अनुद्ग्रहण, फार्म वैट डी-1 के दुरुपयोग के लिए जुर्माने का अनुद्ग्रहण, करयोग्य टर्नओवर का कम निर्धारण, अधिक आई.टी.सी. की अनुमति, ठेकेदार को आपूरित माल पर कर का कम

²⁷ फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (उत्तर) तथा करनाल।

उद्ग्रहण और एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत कर का कम निर्धारण के उद्धरण देखे गए जिनका परिणाम ₹ 79.78 करोड़ के राजस्व की हानि में हुआ।

यह जून 2018 में सरकार को सूचित किया गया था। नवंबर 2018 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

इंगित किए गए मुद्दे लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग इसी प्रकार के मामलों की जांच के लिए कार्रवाई शुरू करें और आवश्यक सुधारक कार्रवाई करें।

2.5 अवैध 'सी' फार्मों पर रियायती कर की अनुमति के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने फार्मों के सत्यापन के बिना कर की रियायती दर की अनुमति दे दी जिसके परिणाम में ₹ 3.53 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 10.59 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रह्य था।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(4) में प्रावधान है कि उप धारा (1) के अंतर्गत रियायत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी बिक्री पर लागू नहीं होगी जब तक कि पंजीकृत डीलर, जिसे माल बेचा गया है के द्वारा विधिवत् भरा गया और हस्ताक्षरित घोषणा पत्र डीलर, ए.ए. को प्रस्तुत न करे और जिसमें निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त एक निर्धारित फार्म प्राप्त 'सी'²⁸ में निर्धारित विवरण हों। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, कर भुगतान से बचने के लिए गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जुर्माने के तौर पर देय कर का तीन गुणा उद्ग्रह्य है। हरियाणा सरकार ने डीलर को कर/रियायत के लाभ की अनुमति देने से पहले 14 मार्च 2006 और 16 जुलाई 2013 में ₹ एक लाख से अधिक अंतःराज्यीय या अंतरराज्यीय लेन-देनों के सत्यापन के लिए अनुदेश जारी किए थे।

सात उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्रीकर) {डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)²⁹ और आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ई.टी.ओ.) टोहाना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 18 डीलरों ने वर्ष 2013-14 और 2014-15 में ₹ 38.49 करोड़ मूल्य की अंतर्राज्यीय बिक्रियों पर कर की रियायती दर का दावा किया। दावों के समर्थन में डीलरों ने वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी 50 फार्म 'सी' राजस्थान (39), उत्तराखंड (2), दिल्ली (8) और पंजाब (1) के दर्ज किए। संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारियों ए.ए. ने अप्रैल 2016 और मार्च 2017 के मध्य निर्धारण अंतिम किए और संबंधित अनुदेशों के अनुसार सत्यापन के बिना प्रस्तुत घोषणाओं पर रियायती कर की अनुमति दे दी।

लेखापरीक्षा ने ये फार्म सत्यापन के लिए संबंधित राज्यों को भेजे और कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.) के माध्यम से इन फार्मों की जांच भी की और पाया कि संबंधित राज्यों ने डीलरों का पंजीकरण रद्द कर दिया था। स्थिति निम्नानुसार है:

²⁸ यह फार्म अंतर्राज्यीय व्यापार में कर की रियायत दर का दावा करने के लिए खरीदने वाले डीलर द्वारा बेचने वाले डीलर को जारी किया जाता है।

²⁹ फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), हिसार, जगाधरी, जींद तथा रोहतक।

हरियाणा में बिक्रीकर्ता इकाई	डीलरों की संख्या	जारी करने वाला राज्य	फार्मों की संख्या	के माध्यम से जांच की गई
जींद, रोहतक, गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम) तथा हिसार	13	राजस्थान	39	टी.आई.एन.एक्स. एस.वाई.एस.-13 सत्यापन-26
गुरुग्राम (पश्चिम)	1	उत्तराखंड	2	सत्यापन-2
जगाधरी, टोहाना तथा फरीदाबाद (पश्चिम)	3	दिल्ली	8	टी.आई.एन.एक्स. एस.वाई.एस.-5 सत्यापन-3
गुरुग्राम (पश्चिम)	1	पंजाब	1	टी.आई.एन.एक्स. एस.वाई.एस.-1
कुल	18		50	

फार्मों के सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा के अनुरोध के उत्तर में राज्य कर अधिकारी (एस.टी.ओ.), जयपुर ने सूचित किया (नवंबर 2017) कि राजस्थान के एक डीलर द्वारा जारी किए गए आठ फार्म वैध नहीं थे और पंजीकरण पहले ही रद्द किया जा चुका था। एस.टी.ओ., जयपुर ने भी यह सूचना दी कि फार्मों के सत्यापन के लिए जून 2015 में किए गए अनुरोध के उत्तर में मामला 25 मई 2016 में डी.ई.टी.सी. जींद को पहले ही सूचित किया जा चुका था। इसके बावजूद ए.ए., जींद ने जयपुर के डीलर द्वारा जारी फार्म 'सी' पर कर की रियायती दर की अनुमति दे दी (3 अक्टूबर 2016)।

ए.ए. जगाधरी ने भी दिल्ली के दो डीलरों द्वारा जारी किए गए 'सी' फार्मों पर कर की रियायती दर की अनुमति दे दी (28 दिसंबर 2016) इस बात से परिचित होते हुए कि दिल्ली के खरीददार डीलरों का पंजीकरण 10 सितंबर 2013 और 26 मई 2014 से रद्द कर दिया गया था।

इसी प्रकार, ए.ए. जींद और जगाधरी ने अवैध घोषणाओं के विरुद्ध रियायतों की अनुमति दी। आगे, शेष छः कार्यालयों के ए.ए. ने भी अप्रैल 2016 और मार्च 2017 के मध्य निर्धारणों को अंतिम किया और सत्यापन के बिना फार्मों पर रियायती दर की अनुमति दे दी।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.53 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 10.59 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्राह्य था।

इंगित किए जाने पर, ए.ए., गुरुग्राम (पश्चिम) ने एक मामले का पुनःनिर्धारण किया और ₹ 15.62 लाख की मांग सृजित की गई (जुलाई 2017)। ए.ए. जगाधरी ने पैरा स्वीकार किया और कहा कि मामला पुनःनिर्धारित किया जाएगा (दिसंबर 2017)। डी.ई.टी.सी. जींद ने सूचित किया (अक्टूबर 2017) कि सत्यापन के लिए वाणिज्यिक कर अधिकारी (सी.टी.ओ.) जयपुर को पत्र जारी किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सी.टी.ओ., जयपुर डी.ई.टी.सी. जींद को पहले ही तथ्यों की सूचना दे चुके थे (मई 2016)। ए.ए. रोहतक ने बताया कि दो मामलों में 'सी' फार्मों के सत्यापन के लिए पत्र भेजा गया (अगस्त 2017) एक मामले में, ए.ए. रोहतक ने दावा किया कि एक डीलर द्वारा जारी किए गए फार्म का राजस्थान की वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट से विधिवत् सत्यापन किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन पर यह पाया गया कि फार्म अवैध पाया गया था।

ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), टोहाना और रोहतक ने कहा कि सत्यापन के बाद (जुलाई 2017 से दिसंबर 2017) कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ए.ए., हिसार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

मामला सरकार को अप्रैल 2018 में सूचित किया गया। जून और नवंबर 2018 में स्मरण-पत्रों के जारी होने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग उचित सत्यापन के बाद अंतःराज्य और अंतर-राज्य बिक्री पर रियायत प्रदान करने के लिए अपने निर्देशों का कड़ा प्रवर्तन सुनिश्चित कर सकता है।

2.6 कम टर्नओवर पर निर्धारण के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कम टर्नओवर पर कर का निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 13.19 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 43.62 लाख का जुर्माना भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 15 (5) में प्रावधान है कि यदि एक डीलर किसी भी अवधि की रिटर्नस निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो ए.ए., किसी भी समय उस वर्ष जिससे वह रिटर्न संबंधित है, की समाप्ति से तीन वर्ष व्यतीत होने से पहले और डीलर को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के बाद उसके द्वारा यदि कोई देय है, कर की राशि का निर्धारण अपनी सर्वोत्तम समझ के अनुसार, कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए वह अनुमान लगा सकता है कि निर्धारण अवधि के लिए उसका सकल टर्नओवर गत वर्ष की तदनुसूची अवधि के लिए वही है और इनपुट कर शून्य है।

क) डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), फरीदाबाद (पूर्व) के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ए.ए. ने एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 15(5) के अधीन वर्ष 2011-12 के लिए एक डीलर के मामले का निर्धारण किया (25 मार्च 2015) क्योंकि जिसका निर्धारण किया गया उसने 2011-12 के लिए कोई रिटर्न दर्ज नहीं की थी और गत वर्षों के जी.टी.ओ. ने 10 प्रतिशत जोड़ने के लिए ₹ 418.26 करोड़ के जी.टी.ओ. पर निर्धारण किया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन डीलरों द्वारा बनाए गए आई.टी.सी. के लिए दावों के संबंध में, ए.ए. फरीदाबाद ने एक आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ई.टी.ओ.), पंचकूला और दूसरा ई.टी.ओ., रोहतक से दो मामले प्राप्त किए थे। फरीदाबाद के डीलर द्वारा माल की बिक्री की पुष्टि के संदर्भ मांगे गए।

फरीदाबाद के डीलर द्वारा ₹ 128.86 करोड़ की बिक्री की पुष्टि हेतु ई.टी.ओ., रोहतक (23 फरवरी 2015 और 17 मार्च 2015 को ई.टी.ओ. कार्यालय फरीदाबाद में प्राप्त हुआ) से संदर्भ प्राप्त हुआ था, क्योंकि रोहतक में एक डीलर ने इस राशि पर आई.टी.सी. का दावा किया था। तथापि, ई.टी.ओ., फरीदाबाद द्वारा 25 मार्च 2015 को जी.टी.ओ. के निर्धारण के समय इस राशि को ध्यान में नहीं रखा गया।

ई.टी.ओ., पंचकूला ने भी ई.टी.ओ., फरीदाबाद को एक डीलर द्वारा आई.टी.सी. के दावे का हवाला दिया था जिसने फरीदाबाद के डीलर से ₹ 388.78 करोड़ राशि का माल खरीदा था। तथापि, ई.टी.ओ. पंचकूला द्वारा यथा सूचित ₹ 388.78 करोड़ की बिक्री पर विचार किए बिना मामले का निर्धारण किया गया। अतः ₹ 13.04 करोड़ (₹ 517.64 करोड़ - ₹ 418.26 करोड़ = ₹ 99.38 करोड़ x 13.125 प्रतिशत) के कर का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (फरवरी 2016), पर ए.ए. फरीदाबाद (पूर्व) ने बताया (अगस्त 2018) कि मामले का पुनःनिर्धारण किया गया था (नवंबर 2016) और ₹ 13.04 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी और वसूली की कार्यवाही शुरू हो गई थी।

ख) एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 में बिक्रियाँ, खरीदों, आयातों, जो डीलर को एक कर देयता को प्रभावित करते हैं, को छिपाने के इरादे से झूठे या गलत लेखा या दस्तावेज रखने के लिए जुर्माने का प्रावधान है। बचाए गए कर की राशि की तीन गुणा रकम जुर्माना के रूप में उद्ग्रहित की जाएगी।

डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (पश्चिम) के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक डीलर ने वर्ष 2010-11 के दौरान डी.ई.टी.सी. पानीपत के एक डीलर को ₹ 1.11 करोड़ का निर्माण माल बेचा। गुरुग्राम के डीलर ने उस अवधि के लिए रिटर्नस फाईल की थी परंतु इस बिक्री को रिटर्नस में शामिल नहीं किया। ए.ए. ने भी नवंबर 2012 में रिटर्नस के अनुसार निर्धारण अंतिम कर दिया। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि डी.ई.टी.सी. पानीपत ने गुरुग्राम के डीलर से ₹ 1.11 करोड़ के खरीद के सत्यापन के लिए डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम को अनुरोध किया। ए.ए. गुरुग्राम ने बताया (अप्रैल 2014) कि डीलर ने रिटर्नस में ₹ 1.11 करोड़ की बिक्री नहीं दिखाई थी। अप्रैल 2014 में ₹ 1.11 करोड़ की बिक्री का छिपाव प्रकट होने के शीघ्र बाद इस मामले का पुनःनिर्धारण किया जाना चाहिए था। यह नहीं किया गया। डीलर ने कर के भुगतान से बचने के लिए ₹ 1.11 करोड़ की बिक्रियां छिपाने के इरादे से झूठा लेखा बनाया, जिससे दंडक कार्रवाई का दायी बन गया। इस प्रकार, ए.ए. द्वारा बिक्रियों के छिपाव के लिए कर के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप ₹ 14.54 लाख (₹ 1,10,81,042 का 13.125 प्रतिशत) के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 43.62 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रह्य था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर (जनवरी 2015) ए.ए. गुरुग्राम (पश्चिम) ने मामले का पुनःनिर्धारण (नवंबर 2017) किया और ₹ 58.18 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की।

मामला मार्च 2018/अप्रैल 2018 में सरकार को सूचित किया गया था। जून और नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए अपने आंतरिक नियंत्रण को मजबूत कर सकता है कि निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय अन्य निर्धारण अधिकारियों से प्राप्त संदर्भों को ध्यान में रखा गया है। विभाग ऐसे मामलों की समीक्षा कर जिम्मेदारी तय कर सकता है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई राशि को लेखापरीक्षा को सूचना के अंतर्गत वापस प्राप्त किया जा सकता है।

2.7 अवैध फार्म 'एफ' के विरुद्ध लाभ की अनुमति देने के कारण कर का अवनिर्धारण

ए.ए. ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय अवैध 'एफ' फार्मों के विरुद्ध प्रेषण बिक्री के लाभ की अनुमति दे दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.78 करोड़ के कर के अनुद्ग्रहण में हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 5.34 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रह्य था।

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 (ए) (i) में प्रावधान है कि जहां कोई डीलर इस आधार पर कि ऐसे माल का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे में उसके व्यापार या उसके एजेंट या प्रमुख के किसी अन्य स्थान पर ऐसे माल के स्थानांतरण के कारण घटित हुआ था, दावा करता है

कि इस अधिनियम के अधीन वह कर के भुगतान करने का दायी नहीं है, इस प्रयोजन के लिए वह व्यापार के अन्य स्थान के प्रमुख अधिकारी या उसके एजेंट या प्रमुख द्वारा हस्ताक्षित फार्म 'एफ' में एक घोषणा निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करे। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 में झूठी सूचना या गलत लेखाओं या दस्तावेजों इत्यादि के आधार पर दावों के लिए दंडक कार्रवाई (परिहार्य कर का तीन गुणा/दावा किया गया हितलाभ) के लिए प्रावधान है। हरियाणा सरकार ने 14 मार्च 2006 और 16 जुलाई 2013 को डीलरों के कर/रियायत के लाभ की अनुमति देने से पहले ₹ एक लाख से अधिक के अंतःराज्यीय, अंतर्राज्यीय लेन-देन को सत्यापन के लिए अनुदेश जारी किए थे।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) जींद और कैथल के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 10 डीलरों ने वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए राजस्थान में जयपुर और हनुमानगढ़ में दो फर्मों को ₹ 33.94 करोड़ राशि की उनकी शाखा स्थानांतरणों/प्रेषण बिक्री पर छूट का दावा किया था। दावों के समर्थन में, डीलरों ने जयपुर और हनुमानगढ़, राजस्थान में स्थित अपनी-अपनी शाखाओं/एजेंटों से प्राप्त 91 'एफ' फार्म प्रस्तुत किए। संबंधित ए.ए. ने जून 2016 और मार्च 2017 के मध्य निर्धारणों को अंतिम रूप दिया और संबंधित अनुदेशों के अनुसार सत्यापन किए बिना प्रस्तुत घोषणाओं पर आधारित छूटों की अनुमति दे दी।

लेखापरीक्षा ने ये फार्म सत्यापन के लिए राजस्थान भेज दिए और पाया कि कोई भी फार्म वास्तविक नहीं थी क्योंकि जयपुर में फर्म का पंजीकरण 1 अप्रैल 2013 से और हनुमानगढ़ का 6 जून 2012 से रद्द कर दिया गया था। आगे, एस.टी.ओ., जयपुर राजस्थान ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (नवंबर 2017) कि जयपुर में फर्म का पंजीकरण रद्द होने के बारे में डी.ई.टी.सी. जींद को मई 2016 में ए.ए. जींद के अनुरोध (जून 2015) के उत्तर में पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, ए.ए. जींद ने निर्धारण (अगस्त और अक्टूबर 2016) को अंतिम रूप देते समय इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया और लाभ की अनुमति दे दी। ए.ए., कैथल ने भी प्रेषण बिक्री के लाभ की अनुमति सत्यापन के बिना दे दी। इस प्रकार अवैध 'एफ' फार्मों के विरुद्ध प्रेषण बिक्री के लाभ की अनुमति के परिणाम में ₹ 1.78 करोड़³⁰ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। ₹ 5.34 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रह्य था।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. जींद ने सूचित किया (अक्टूबर 2017) कि फार्मों का सत्यापन राजस्थान सरकार की वेबसाइट से किया गया था और सत्यता जानने के लिए एस.टी.ओ., जयपुर को पत्र लिखा गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एस.टी.ओ., जयपुर ने डी.ई.टी.सी. जींद को पहले ही वास्तविक स्थिति से अवगत करवा दिया था (मई 2016)। ए.ए. कैथल से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मामला फरवरी 2018 में सरकार को सूचित किया गया था। जून और नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग उचित सत्यापन के बाद अंतःराज्य और अंतर-राज्य बिक्री पर रियायत प्रदान करने के लिए अपने निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर सकता है।

³⁰ ₹ 33.94 करोड़ x 5.25 प्रतिशत = ₹ 1.78 करोड़।

2.8 स्टॉक स्थानांतरण या हानियों पर आई.टी.सी. के अधिक लाभ की अनुमति देने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आई.टी.सी. की कम वापसी/वापसी न करने के परिणामस्वरूप ₹ 9.04 करोड़ की आई.टी.सी. का अधिक लाभ दिया गया।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के अधीन, वैट डीलर द्वारा खरीदे गए किसी भी माल का इनपुट कर उसको बेचे गए ऐसे माल पर राज्य को भुगतान किए गए कर की राशि होगी। वह माल जिसका निपटान बिक्री के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हुआ है पर कोई आई.टी.सी. अनुमत नहीं है।

यदि राज्य में खरीदा गया माल का प्रयोग किया गया या निपटान आंशिक रूप से बिक्री और आंशिक रूप से स्टॉक स्थानांतरण द्वारा किया गया, ऐसे माल का इनपुट कर प्रोराटा आधार पर परिकलित किया जाएगा।

डी.ई.टी.सी. (बिक्रीकर) के तीन कार्यालयों³¹ के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि दो डीलरों ने 2012-13 और 2013-14 के दौरान ₹ 20,899.62 करोड़ मूल्य के भवन निर्माण सामग्री, गेहूं, धान और सीमेंट ₹ 1,096.20 करोड़ के वैट के भुगतान के बाद खरीदा। डीलरों ने ₹ 19,120.61 करोड़ मूल्य का माल फार्म 'एफ'³² के विरुद्ध हस्तांतरित किया। आई.टी.सी. स्टॉक हस्तांतरण पर अनुपातिक रूप से परिवर्तित किया जाना था। प्रोराटा आधार पर आई.टी.सी. ₹ 994.80 करोड़ की गणना बनती है। तथापि, ए.ए. ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय वल ₹ 986.60 करोड़ की राशि गलत रिवर्स कर दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.20 करोड़ के आई.टी.सी. कम रिवर्सल हुए।

आगे, एक डीलर ने 2012-13 के दौरान राज्य के भीतर ₹ 0.70 करोड़ के कर के भुगतान के बाद ₹ 16.68 करोड़ मूल्य का पैकिंग माल खरीदा और सारा माल फार्म 'एफ' के विरुद्ध हस्तांतरित कर दिया और इस प्रकार डीलर आई.टी.सी. के लिए पात्र नहीं था। ए.ए. ने केवल ₹ 0.15 करोड़ के आई.टी.सी. को रिवर्स किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.55 करोड़ (₹ 0.70 करोड़ - ₹ 0.15 करोड़) के आई.टी.सी. का गलत लाभ हुआ।

2.8.2 एक डीलर ने ₹ 4.66 करोड़ की हानि की सूचना दी। अनुपातिक आई.टी.सी. ₹ 0.29 करोड़ बना। ए.ए. ने निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय आई.टी.सी. को रिवर्स नहीं किया जिसके परिणाम में ₹ 0.29 करोड़ का गलत लाभ हुआ।

इस प्रकार, गलत रिवर्सल के परिणामस्वरूप ₹ 9.04 करोड़ (₹ 8.20 करोड़ + ₹ 0.55 करोड़ + ₹ 0.29 करोड़) के आई.टी.सी. का गलत लाभ दिया गया।

यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरुग्राम (पश्चिम) ने सूचित किया (अक्टूबर 2017) कि एक मामले में ₹ 28.91 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई और एक मामला स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी को भेजा गया (अप्रैल 2017)। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकूला ने सूचित किया (जून 2018) कि ₹ 8.12 करोड़ की अतिरिक्त

³¹ गुरुग्राम (पूर्व) (01 डीलर), गुरुग्राम (पश्चिम) (02 डीलर) तथा पंचकूला (01 डीलर)।

³² एक डीलर द्वारा एक राज्य से दूसरे में माल के स्थानांतरण पर इस आधार पर कि ऐसा स्थानांतरण ऐसे माल का उसके व्यापार कि किसी अन्य स्थान या उसके एजेंट या प्रमुख को हस्तांतरण और इसे बिक्री के तौर पर माने बिना, की वजह से हुआ था, कर की छूट का दावा करते हुए प्रस्तुत की गई घोषणा।

मांग सृजित की गई है। ए.ए. गुरुग्राम ने सूचित किया (अक्टूबर 2018) कि मामला स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी को भेजा गया।

मामला सरकार को मार्च 2018 में सूचित किया गया। जून और नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित कर सकता है।

2.9 बेचे न गए माल पर इनपुट कर क्रेडिट का गलत लाभ

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ड्यूटी एनटाईटलमेंट पासबुक (डी.ई.पी.बी.) जो डीलर द्वारा बेचा नहीं गया को खरीदने के लिए अदेय आई.टी.सी. दावा की अनुमति दे दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.89 करोड़ के इनपुट कर की गलत प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.73 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के अधीन, माल की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) सीधे माल की बिक्री पर या राज्य या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में उससे उत्पादित माल पर कर देयता के विरुद्ध अनुमत है। ड्यूटी एनटाईटलमेंट पासबुक (डी.ई.पी.बी.) स्कीम 1997 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ एक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम है जहां एक निर्यातक को निर्यात माल के मूल्य के अनुपात में उसके निर्यातों पर ड्यूटी क्रेडिट एनटाईटलमेंट प्राप्त होती है। इस स्कीम के अधीन डी.ई.पी.बी. क्रेडिट प्राप्त करने के लिए निर्यातकों को महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा डी.ई.पी.बी. पावती-पत्र जारी किया जाता है। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया (22 अप्रैल 2013) कि आई.टी.सी. केवल तभी उपलब्ध है यदि डी.ई.पी.बी. पावती-पत्र पुनः बिक्री के लिए खरीदे जाते हैं और कोई आई.टी.सी. अनुमत नहीं होगी यदि इनका प्रयोग सीमा शुल्क के समायोजन के लिए हो। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) के अधीन 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर ब्याज भी उद्ग्राह्य है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), रेवाड़ी के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक डीलर ने 2012-13 के दौरान ₹ 2.89 करोड़ के वैट के भुगतान के बाद ₹ 55.02 करोड़ मूल्य के डी.ई.पी.बी. खरीदे। डीलर ने इन्हें अपने द्वारा देय सीमा शुल्क के समायोजन के लिए प्रयोग किया। चूंकि पावती-पत्र डीलर द्वारा नहीं बेचे गए, कोई आई.टी.सी. अनुमत नहीं था। तथापि, 28 अप्रैल 2015 को निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, ए.ए. ने डीलर को आई.टी.सी. के दावे की अनुमति दे दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.89 करोड़ के आई.टी.सी. की गलत प्रदानगी हुई। ₹ 1.73 करोड़³³ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. रेवाड़ी ने सूचित किया (फरवरी 2018) कि मामला स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी को भेज दिया गया।

मामला सरकार को फरवरी 2018 में सूचित किया गया था। जून और नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

³³ ₹ 2.89 करोड़ पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर 1.11.2012 से 28.4.2015 अर्थात् 29 माह और 28 दिनों तक ब्याज प्रभारित किया जाता है। ₹ 2.89 करोड़ x 2 प्रतिशत x 29 माह = ₹ 1.68 करोड़ + ₹ 2.89 करोड़ x 2 प्रतिशत x 28/30 = ₹ 5.59 लाख। ₹ 1.68 करोड़ + ₹ 0.05 करोड़ = ₹ 1.73 करोड़।

2.10 कर का अनुद्ग्रहण

ए.ए. ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 7.08 करोड़ मूल्य की मर्दों की बिक्री को कर मुक्त माल के तौर पर निर्धारित कर दिया। तथापि, ये मर्दे 5.25 प्रतिशत और 13.125 प्रतिशत की दर पर कर योग्य हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 43.31 लाख की राशि के वैट का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 24.53 लाख का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (i) (ए) iii और iv के अधीन, माल के वर्गीकरण पर निर्भर करते हुए कर अधिनियम की सूचियों 'ए' से 'जी' में निर्दिष्ट दरों पर उद्ग्रह्य है। अनुसूची 'सी' का माल 5 प्रतिशत पर कर योग्य है। उपर्युक्त सूचियों में जो मर्दे वर्गीकृत नहीं हैं वे 1 जुलाई 2005 से प्रभावी 12.5 प्रतिशत के कर के सामान्य दर पर कर योग्य है। आगे, 2 अप्रैल 2010 से प्रभावी कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्रह्य है। इसके अतिरिक्त, धारा 14(6) के अंतर्गत एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर ब्याज, यदि भुगतान 90 दिनों के भीतर किया जाए और दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, पूरी अवधि के लिए 90 दिनों से अधिक चूक जारी रहती है, भी उद्ग्रह्य है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकूला और जगाधरी के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि तीन डीलरों ने 2013-14 और 2014-15 में ₹ 5.91 करोड़ मूल्य की स्टील स्क्रीन पाईपज़, फीता और बायो ईंधन बेचा और बिक्री को कर मुक्त के तौर पर दावा किया। ए.ए., ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (नवंबर 2015, सितंबर 2016 और नवंबर 2016) डीलर के दावे को अनुमति दे दी। तथापि ये सभी मर्दे अनुसूची 'सी' की मर्दे हैं तथा अधिभार सहित 5.25 प्रतिशत पर कर योग्य हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.04 लाख (₹ 5.91 करोड़ x 5.25 प्रतिशत) राशि के वैट का अनुद्ग्रहण हुआ। ₹ 14.64 लाख का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

आगे, डी.ई.टी.सी., जगाधरी के एक डीलर ने वर्ष 2013-14 में ₹ 1.17 करोड़ मूल्य के अचल ठोस परिसंपत्तियों को बेचा। ए.ए. ने मार्च 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय बिक्री पर कर उद्ग्रहण को छोड़ दिया। इस माल पर 5.25 प्रतिशत और 13.125 प्रतिशत की दर से कर उद्ग्रह्य था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.27 लाख³⁴ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। ₹ 9.88 लाख का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

यह इंगित करने पर, ए.ए. पंचकूला और जगाधरी ने सूचित किया कि मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई (मार्च 2017 से जून 2018) के लिए भेजे गए।

मामला मार्च एवं अप्रैल 2018 में सरकार को सूचित किया गया। जून और नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग इस बात की जांच कर सकता है कि क्या ऐसे और भी मामले हैं जहां गलत तरीके से कर छूट की अनुमति दी गई है। लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों के संबंध में शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए।

³⁴ ₹ 37,74,409 x 5.25 प्रतिशत = ₹ 1,98,156 + ₹ 78,17,507 x 131.25 प्रतिशत = ₹ 10,26,048 + ₹ 3,000 = ₹ 12,27,204.

2.11 परिगणना में गलती के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा परिगणना में गलती के कारण ₹ 41.46 लाख राशि के कर का अवनिर्धारण था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 19 के अधीन, कोई कराधान प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी, किसी भी समय, उसके द्वारा किसी भी मामले में पारित आदेश की प्रति की आपूर्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के मध्य विपरीत रूप से प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद मामले के रिकार्ड पूर्णतया स्पष्ट किसी लिपिकीय या गणितीय भूल को सुधार सकती है।

डी.ई.टी.सी., गुरुग्राम (पूर्व) और गुरुग्राम (पश्चिम) के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि दो डीलरों ने 2013-14 के दौरान ₹ 13.12 करोड़ मूल्य की बिक्री की। ए.ए. ने नवंबर 2015 और मार्च 2017 को निर्धारण को अंतिम रूप देते समय परिगणना भूल के कारण ₹ 70.87 लाख की सही राशि की बजाय ₹ 29.41 लाख के कर का निर्धारण किया। इसके फलस्वरूप ₹ 41.46 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2017), डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (पश्चिम) ने बताया (सितंबर 2017), कि मामले का पुनर्निर्धारण किया गया और ₹ 46.96 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई। डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (पूर्व) ने सूचित किया कि पुनःनिर्धारण के लिए डीलर को नोटिस जारी किया गया था (जनवरी 2018)।

मामला अप्रैल 2018 में सरकार को सूचित किया गया। जून और नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

2.12 ब्याज का अनुद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय दो डीलरों द्वारा कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 27.77 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करती है कि यदि कोई डीलर इसके अंतर्गत बनाए गए अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त ब्याज, एक प्रतिशत प्रतिमाह यदि भुगतान नब्बे दिनों के भीतर किया जाता है और दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि चूक कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि से भुगतान करने की तिथि तक पूरी अवधि के लिए नब्बे दिनों से अधिक जारी रहती है, के भुगतान के लिए दायी होगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) बहादुरगढ़ और गुरुग्राम (पूर्व) के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि दो मामलों में, ब्याज का उद्ग्रहण तदनुसार प्रावधानों के अधीन यथा अपेक्षित नहीं किया गया।

बहादुरगढ़ में, डीलर ने अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि के दौरान देय मासिक कर का भुगतान आगामी मास की 15 तारीख है की बजाय नवंबर 2014 में किया। ए.ए. ने मार्च 2017 में वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, ₹ 43.55 लाख के विलंबित भुगतान पर, ₹ 11.58 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया।

गुरुग्राम में, वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारण से दृष्टिगोचर है कि निर्धारण की तिथि (18 मार्च 2016) को डीलर से ₹ 19.69 लाख का कर देय था। ए.ए. ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, कर का भुगतान न किए जाने पर ₹ 16.19³⁵ लाख के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.77 लाख (₹ 11.58 लाख + ₹ 16.19 लाख) के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) बहादुरगढ़ ने मार्च 2018 में बताया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी, झज्जर को स्वतः कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया और ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने मार्च 2018 में बताया कि पुनःनिर्धारण के लिए नोटिस डीलर को जारी कर दिया गया।

मामला मार्च 2018 में सरकार को सूचित किया गया। जून और नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए राशि की वसूली सुनिश्चित कर सकता है।

2.13 अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय विक्रेता डीलरों से खरीद का सत्यापन किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति दे दी जिसके फलस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.83 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहण था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत एक वैट डीलर द्वारा खरीदे किसी भी माल पर इनपुट टैक्स उसके ऐसे माल की बिक्री पर राज्य को भुगतान किए गए कर की राशि होगी। ई.टी.सी. हरियाणा ने मार्च 2006 और जुलाई 2013 में अनुदेश जारी किए कि कर के वास्तविक भुगतान के अंतिम चरण तक आई.टी.सी. का शत-प्रतिशत सत्यापन किए जाएगा। आगे, अधिनियम की धारा 38 में झूठी सूचना और गलत लेखाओं या दस्तावेजों के आधार पर दावों के लिए दंडक कार्रवाई कर अपवंचन का तीन गुणा जुर्माने का प्रावधान है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पानीपत, फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (पूर्व), के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ए.ए. ने वर्षों 2013-14 (जनवरी 2015, मई 2015 और मार्च 2017) के लिए तीन डीलरों का निर्धारण को अंतिम रूप देते समय विक्रेता डीलरों से खरीद का सत्यापन किए बिना ₹ 1.28 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति दे दी। लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन पर यह पाया गया कि विक्रेता डीलरों ने इन डीलरों को बिक्री नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ के आई.टी.सी. की गलत प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.83 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहण था।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने सूचित किया (अगस्त 2018) कि मामले का पुनःनिर्धारण किया गया और ₹ 0.47 करोड़ की मांग सृजित की गई। ए.ए. फरीदाबाद (पूर्व) ने सूचित किया (अप्रैल 2017) कि मामले का पुनःनिर्धारण किया गया और

³⁵ ₹ 19,69,540 x 1,233/30 तीन (1 नवंबर 2012 से 18 मार्च 2016 तक) x 2 प्रतिशत।

₹ 3.24 करोड़ की मांग सृजित की गई। ए.ए. पानीपत ने सूचित किया (फरवरी 2018) कि मामला पुनःनिर्धारण के लिए लिया गया है।

मामला अप्रैल 2018 में सरकार को सूचित किया गया था। जून एवं नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग देय सत्यापन के बाद आई.टी.सी. के हितलाभ की अनुमति देने के लिए कड़ा तंत्र सुनिश्चित कर सकता है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित राशि को लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए वसूल किया जा सकता है।

2.14 कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने, निर्धारण को अंतिम रूप देते समय 13.125 प्रतिशत की बजाय 5/5.25 प्रतिशत की दर पर कर का गलत उद्ग्रहण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.12 करोड़ के कर का अव-निर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.27 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(i) (ए) (iv) के अधीन, सभी अवर्गीकृत उपभोग्य मालएं 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 2 अप्रैल 2010 से उद्ग्रह्य कर पर चार-पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज देय है। धारा 14 (6) के अधीन एक प्रतिशत प्रतिमाह यदि भुगतान नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाए और दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, पूरी अवधि के लिए चूक नब्बे दिनों से अधिक जारी रहती है, की दर पर ब्याज भी उद्ग्रह्य है।

चार³⁶ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2012-13 से 2013-14 के लिए अंतिम निर्धारण करते समय छः डीलरों को अवर्गीकृत माल की बिक्री पर कर कम दर पर निर्धारण किया गया जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी. का नाम	निर्धारण की अवधि/मास	योग्य माल	बेचे गए माल का मूल्य	सरचार्ज सहित 13.125 की दर पर उद्ग्रह्य कर	5/5.25 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रह्य कर	कम उद्ग्रहित कर	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया
1	पानीपत	2012-13 दिनांक 18.03.2016	फलाई ऐश	21413533	2810526	1124210	1686316	फलाई ऐश एक अवर्गीकृत मद है और 13.125 प्रतिशत की दर पर कर-योग्य है। ए.ए. ने सूचित किया (फरवरी 2017) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई करने के लिए भेजा गया था।

³⁶ पानीपत: 1, फरीदाबाद (पूर्व): 2, फरीदाबाद (पश्चिम): 2, रोहतक: 1

वर्ष 2017-18 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी. का नाम	निर्धारण की अवधि/मास	योग्य माल	बेचे गए माल का मूल्य	सरचार्ज सहित 13.125 की दर पर उद्ग्राह्य कर	5/5.25 प्रतिशत की दर पर उद्ग्राह्य कर	कम उद्ग्राह्य कर	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया
2	फरीदाबाद (पूर्व)	2012-13 दिनांक 21.01.2016	पनीर	14953085	1962592	785037	1177555	सरकार ने 23.6.2014 को स्पष्ट किया कि पनीर एक अवर्गीकृत मद है और 13.125 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है। ए.ए. ने सूचित किया (मार्च 2017) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास स्वतः कार्रवाई करने के लिए भेजा गया।
3	फरीदाबाद (पश्चिम)	2012-13 दिनांक 02.06.2014 तथा 2013-14 दिनांक 15.06.2015	एयर कंप्रेसर एसेसरीज एंड पार्ट्स	19106473	2507725	1003090	1504635	सरकार ने 22.10.2009 को स्पष्ट किया कि एयर कंप्रेसर/ब्लोअर अवर्गीकृत मद है और 13.125 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है। ए.ए. ने सूचित किया (मई 2017) कि बेचे गए माल के बिलों की प्रस्तुति के लिए नोटिस जारी किया गया है।
4	रोहतक	2013-14 दिनांक 20.11.2015	प्लास्टिक स्क्रेप	20009817	2626288	1000490 (5%)	1625798	प्लास्टिक स्क्रेप एक अवर्गीकृत मद और 13.125 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है। ए.ए. ने सूचित किया (अप्रैल 2018) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई करने के लिए भेजा गया था।
5	फरीदाबाद (पूर्व)	2013-14 दिनांक 14.12.2015	मशीनरी पार्ट्स	53607058	7035926	2814371	4221555	ए.ए. ने सूचित किया (नवंबर 2016) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई करने के लिए भेजा गया था।
6	फरीदाबाद (पश्चिम)	2013-14 दिनांक 31.05.2016	करेंसी सोर्टिंग डिवाइसिज़	140057472	18382543	7353017	11029526	करेंसी सोर्टिंग डिवाइसिज़ एक अवर्गीकृत मद है और 13.125 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है। ए.ए. ने सूचित किया (दिसंबर 2017) कि करेंसी सोर्टिंग डिवाइस एक कम्प्यूटर है। ए.ए. का उत्तर सही नहीं है क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक माल है और 13.125 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है।
कुल				269147438	35325600	14080215	21245385	

इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.12 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। ₹ 1.27 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

मामला मई 2018 में सरकार को सूचित किया गया था। जून एवं नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक मामलों की जांच कर सकता है कि कर की दरों को सही तरीके से लगाया जा रहा है। ऊपर इंगित की गई राशि लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए वसूल की जा सकती है।

2.15 सत्यापन के बिना सरकारी लेखाओं में कर जमा करने का गलत लाभ

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, दो डीलरों को ₹ 27.15 लाख के कर जमा करने के गलत लाभ की अनुमति दे दी। इसके अतिरिक्त, ₹ 14.96 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

हरियाणा सरकार को यथा लागू पंजाब वित्तीय नियम, वाल्यूम-1 के नियम 4.1 में निहित प्रावधान के अनुसार संबंधित राजस्व या प्रशासन विभाग का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि सरकार के देय सही रूप से एवं तुरंत निर्धारित किए जाएं, संग्रहित किए जाएं और राजकोष में जमा किए जाएं। विभागीय नियंत्रण अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि सरकार को देय सभी राशियां नियमित रूप से एवं तुरंत निर्धारित की जाएं, वसूल की जाएं और राजकोष में विधिवत् क्रेडिट की जाएं, कर के लाभ की अनुमति राजकोष में जमा किए गए कर के सत्यापन के बाद दी जाएगी यदि किसी क्रेडिट का दावा किया जाए परंतु लेखाओं में न पाए जाएं, जांच पहले संबंधित जिम्मेदार विभागीय अधिकारी की, की जाए। इसके अतिरिक्त धारा 14(6) के अधीन एक प्रतिशत प्रतिमाह यदि भुगतान नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाए और दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, पूरी अवधि के लिए चूक नब्बे दिनों से अधिक जारी रहती है, की दर पर ब्याज भी उद्ग्राह्य है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी), फरीदाबाद (पश्चिम) के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ए.ए. ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (अप्रैल 2016) डीलर को वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 27.09 लाख के कर जमा करने के लाभ की अनुमति दे दी। लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन से प्रकट हुआ कि ₹ 27.09 लाख में से ₹ 20 लाख की राशि वास्तव में डीलर द्वारा सरकारी खाते में जमा नहीं की गई थी। ₹ 11.67³⁷ लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

गुरुग्राम (पूर्व) में यह देखा गया कि एक डीलर ने वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 7.15 लाख का कर जमा किया था और ए.ए. ने लाभ की अनुमति दे दी। उसी राशि पर 2013-14 में भी ए.ए. द्वारा अनुमति दे दी गई (नवंबर 2015) जबकि यह डीलर द्वारा जमा नहीं की गई थी। परिणामतः ₹ 7.15 लाख का गलत लाभ हुआ। ₹ 3.29³⁸ लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

इस प्रकार, ए.ए. ने बिना सत्यापन के ₹ 27.15 लाख (₹ 20 लाख + ₹ 7.15 लाख) के कर जमा के लाभ की अनुमति दे दी। ₹ 14.96 का कुल ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

प्रदत्त कर के लाभ की अनुमति यह सुनिश्चित किए बिना देना कि राशि वास्तव में सरकारी खाते में जमा कर दी गई है जो अपूर्ण आंतरिक नियंत्रण का सूचक है। डीलरों द्वारा कर जमा

³⁷ ₹ 20,00,000 x 29 माह तथा 5 दिन (01 नवंबर 2013 से 05 अप्रैल 2016 तक) x 2/100 = ₹ 11,66,667

³⁸ ₹ 7,15,462 x 23 माह (01 नवंबर 2013 से 30 सितंबर 2015 तक) x 2/100 = ₹ 3,29,112

की ऑनलाइन जाँच का प्रावधान होना चाहिए। कर जमा के लाभों का प्रावधान एक मैनुअल प्रक्रिया होने के बजाय सक्षम प्रणाली होना चाहिए।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (पश्चिम) ने जुलाई 2018 में बताया कि डीलर ने ₹ 20 लाख जमा किए थे। डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (पूर्व) ने अगस्त 2018 में बताया कि मामला पुनःनिर्धारित किया गया और ₹ 10.99 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई।

मामला मई 2018 में सरकार को सूचित किया गया था। जुलाई एवं नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के मामलों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकता है।